रास्ता खोलो अभियान' ने राह की आसान...तो ग्रामीणों के चेहरे पर खिली मुस्कान

सहमति और समझाइश से जिला प्रशासन ने शुक्रवार को खुलवाए 41 रास्ते - अभियान के तहत 4 सप्ताह में 173 रास्ते खोल कर आमजन को दिलाई राहत

जयपुर, 06 दिसंबर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर शुरू हुआ रास्ता खोलो अभियान के तहत शुक्रवार को जिला प्रशासन ने सहमति एवं सहयोग से 41 रास्ते खुलवाए। 15 नवंबर को शुरू हुए रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत विगत 4 सप्ताह में जिला प्रशासन को जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण में 173 रास्तों को खुलवाने में सफलता मिली है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी श्रीमती सुमन पंवार ने बताया कि शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीमों ने आमेर, आंधी, शाहपुरा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, रामपुरा-डाबड़ी, चौमूं, सांगानेर, माधोराजपुरा तहसील में 3-3 रास्ते खुलवाए। तो वहीं, तुंगा, जालसू और कोटखावदा तहसील में 2-2 साथ ही, जयपुर, कालवाड़, जमवारामगढ़, बस्सी और चाकसू तहसील में एक-एक रास्ता खुलवाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि किशनगढ़-रेनवाल के डूंगरसी का बास गावं में 45 सालों से बंद रास्ता, कोढी गांव में 35 सालों से बंद रास्ता तो वहीं, सांगानेर तहसील के नरवरिया गांव में 25 साल से बंद और झुंड गांव में दो दशकों से बंद रास्ते को खुलवाया गया। जयपुर के जयपुरियों का बास गांव में 2 महीनों से बंद रास्ता खुलने से करीब 1500 ग्रामीणों और सांभरलेक के रसूलपुरा गांव में 5 सालों से बंद रास्ते के खुलने से एक हजार से अधिक ग्रामीणों की राह आसान हुई है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर रास्ता खोलो अभियान के तहत बरसों से बंद रास्ते खुले तो ग्रामीण जिला कलक्टर और जिला प्रशासन का आभार जता रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल, सी.सी. रोड़ बनवाये जाने की कार्यवाही भी जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिये हैं, इन निर्देशों की अनुपालना में अधिकांश स्थानों पर ग्रेवल रोड बनाने की कार्यवाही भी आरंभ की जा चुकी है। वहीं, जिन रास्तों के वाद न्यायालय में विचाराधीन है परिवादियों द्वारा संबंधित न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहते हैं। ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन-धन की हानि होने के साथ-साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासन ने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए 'रास्ता खोलो अभियान' चलाने का निर्णय लिया गया।

जिलों में भूमि चिन्हित एवं अवाप्त करने के भरसक प्रयास करें - आवासन आयुक्त

जयपुर, 6 दिसम्बर (का.सं.)। आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं का प्रदेशभर में विस्तार करने तथा मण्डल का लेण्ड बैंक तैयार करने के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेते हुए जिलों में भूमि चिन्हित एवं अवाप्त करने के भरसक प्रयास करें, यह कहना है आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा का। उन्होंने कहा कि अभियंता फील्ड में जाकर मण्डल की आवासीय योजनाओं में स्थित लेण्ड पॉकेटस् चिन्हित करें। डॉ. रश्मि शर्मा ने यह बात शुक्रवार को आवासन मंडल मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मण्डल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण से आवंटन होने तक प्रत्येक प्रोजेक्ट में संवेदनशीलता एवं गंभीरता से कार्य किया जाये।

कस्बा भुसावर निवासी ने अपना अलंकरण जम्बूदीप पदम श्री को किया अपनी जन्म भूमि को समर्पित

भुसावर, 6 दिसम्बर (का.सं.)। अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज एवं 192 राष्ट्रों के ध्वजों के सानिध्य में नई दिल्ली स्थित दी इण्डियन सोसाइटी ऑफ इन्टरनेशनल ला सभागार वी.के.कृष्णन मेनन भवन में आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कस्बा भुसावर निवासी इंजी.नरेन्द्र कुमार पांडेय एडवोकेट को उनकी कर्म स्थली से लेकर सेवानिवृत पश्चात समाज सेवा में अनवरत योगदान पर जम्बूद्वीप पदम श्री सम्मान से सम्मानित किया जिसने कस्बा भुसावर का गौरव बढाया इंजी.श्री पांडेय द्वारा प्राप्त इस सम्मान को अपनी जन्म भूमि की पावन मिट्टी से तिलक लगाकर कस्बा भुसावर को समर्पित किया कार्यक्रम का आयोजन आदर्श विध्या मन्दिर रघुनाथ बाग विद्यापीठ रोड भुसावर में किया गया समारोह कार्यक्रम स्व. शिवदत्त पांडेय थानेदार मेमोरियल भुसावर के सौजन्य से किया गया मुख्य अतिथी विश्व रत्न श्री महावीर प्रसाद टोरडी रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री उदयभान सिंह डीन कृषि महाविद्यालय भुसावर ने की मेमोरियल के संरक्षक इंजी.योगेन्द्र पांडेय ने बताया कि भुसावर के इंजी.नरेन्द्र कुमार पाण्डेय एडवोकेट को यह सम्मान विश्व के 192 राष्ट्रों के राष्ट्रीय ध्वजों व संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश के राजनीतिज्ञों एवं राजनयिकों द्वारा प्रदान किया गया जो भुसावर कस्बा ही नहीं पूरी भुसावर तहसील व जिला भरतपुर के लिये गौरव की बात है, इंजी.नरेन्द्र कुमार पांडेय एडवोकेट की इस उपलब्धी पर हमारा समस्त कृष्णात्रेय परिवार भुसावर गौरवान्वित महसूस कर रहा है श्री योगेन्द्र पांडेय ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मान प्राप्त से प्रेरित होकर भुसावर का हर युवा अपना भविष्य में भुसावर का नाम रोशन करेंगे इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा इस वर्ष बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूरे भारत में 1100 बाल प्रतिभाओ के सम्मान कार्यक्रम के अन्तर्गत भुसावर की 21 बाल प्रतिभाओ को बाल रत्न अभिनन्दन-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया इस अवसर पर भारतीय परम्परा अनुसार अतिथियों का स्वागत मंत्रोचार के साथ तिलक लगाकर पद प्रक्षालन कर पं. महेश चंद्र शर्मा नावरिया ने किया कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद पं. पूरन चंद्र निर्ध्दन्द ने किया इस कार्यक्रम में कस्बा भुसावर के महननीय गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को अधिक रोचक पूर्ण बनाया।

एमवे इंडिया ने स्वस्थ भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया

अगले 5 वर्षों में 50 लाख लोगों को स्वस्थ जीवन जीने हेतु जागरूक करने का लक्ष्य

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 6 दिसम्बर (का.सं.)। जैसे-जैसे आधुनिक जीवनशैली की मांग बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जीवन की समग्र गुणवत्ता में संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों के समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करना जरुरी हो रहा है। इसके लिए, स्वास्थ्य और खुशहाली का समर्थन करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक, एमवे इंडिया ने जीवन के वर्षों की तुलना में स्वस्थ रहकर बिताई जाने वाली जीवन-अवधि को प्राथमिकता देते हुए अगले 5 वर्षों में 50 लाख लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ स्वस्थ भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। कंपनी इस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर रही है, जो भारत सरकार की स्वस्थ भारत पहल का भी केन्द्रीय विचार है। इस लक्ष्य को पाने के लिए यह अपने वितरकों को परिवर्तन के उत्साही प्रचारकों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत बना रही है, ताकि आवश्यकता-आधारित, विज्ञान-समर्थित सिफारिशों और विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से लोगों को अपना जीवन को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा सके।

एमवे इंडिया के प्रबंध निदेशक रजनीश चोपड़ा ने कहा, 65 से अधिक वर्षों के वैश्विक परिचालन और उत्कृष्टता के स्तंभ के रूप में खड़े हमारे 90 साल पुराने ब्रांड, न्यूट्रिलाइट की ताकत के साथ एमवे देश की सेवा करने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार है। आज भारत को पोषण के साथ स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और एमवे इंडिया में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का दृष्टिकोण अपनाते हुए हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए स्वस्थ बने रहने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर 6000 एकड़ के स्वामित्व वाले ऑर्गेनिक फार्मलैंड और भारत में 20 न्यूट्रीसर्ट पार्टनर फार्म्स की सहायता से हमारी सीड-टू-सप्लिमेंट नीति हमें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करने का विश्वास दिलाती है। होलिस्टिक, विज्ञान समर्थित उत्पादों और सिफारिशों के माध्यम से बदलाव लाने के लिए पूरी लगन से प्रतिबद्ध विज्ञान और नवाचार की समर्पित टीम द्वारा हमारे कार्यों में और भी सहयोग व समर्थन दिया जाता है। हमारा उद्देश्य लोगों को उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास शुरू करने, स्वस्थ आदतों को अपनाने और अंततः उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करने के लिए मजबूत बनाना है, जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव आए। भारत में अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हमारा हाल ही में किया गया वैश्विक निवेश भारत के बाजार और इसकी क्षमता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम होलिस्टिक वेलनेस इकोसिस्टम का निर्माण करने और इसे मजबूत करने के लिए सरकारी निकायों, स्वास्थ्य पेशेवरों, शोधकर्ताओं और समुदायों के साथ भी सहयोग करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ जीवन जीने और सामूहिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के प्रयास करते हुए, हम स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और भारत के लिए एमवे, एमवे के लिए भारत के अपने मूल मंत्र के आधार पर अपने कार्य संचालन करते हैं।卐

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के अनुसार, भारत में 56.4% बीमारियाँ अस्वास्थ्यकर आहार के कारण होती हैं, जिससे यह पता चलता है कि पोषण के बारे में बेहतर समझदारी पैदा करने की जरूरत कितनी अधिक है। पोषण, स्वास्थ्य और खुशहाली में हमारी पिछले कई दशकों की विशेषज्ञता के आधार पर, एमवे लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने हेतु समर्पित होकर काम कर रहा है। लोगों को व्यावहारिक पोषण का ज्ञान देकर, एमवे उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बेहतर करने के लक्ष्य पूरे करने में सहायता करने वाले आहार के विकल्पों को समझदारी के साथ चुनने में सक्षम बना रहा है। वैश्विक स्तर पर 800 से अधिक वैज्ञानिकों और पेशेवरों का एमवे का समुदाय विश्व स्तरीय नवोन्मेषी उत्पादों को विकसित करने और वितरित करने के लिए समर्पित है, जिसके परिणामस्वरूप इसने 750 से अधिक वैश्विक पेटेंट प्राप्त किए हैं और अन्य कई पेटेंट पाने के लिए आवेदन किए हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारी कंपनी निरंतर नवाचार पर कितना ध्यान रखते हुए काम कर रही है।

कार्यालय अधीक्षक राज्य महिला सदन,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

रामसिंहपुरा, शिकारपुरा रोड, सेक्टर-35, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज0)

क्रमांक: दिनांक :

खुली निविदा आमंत्रण सूचना 04 / 2024-25

अधीक्षक, राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में आवासनियों हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा फल एवं सब्जी की आपूर्ति के लिए इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 11.12.2024 को 03.00 **PM** तक खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत 5.00 लाख है। निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें वेबसाईट **htpp:/sppp.rajasthan.gov.in** एवं विभागीय वेबसाईट **www.sje.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN: SOC2425GSRCOO209

(अंजना मानव)
अधीक्षक,
राज्य महिला सदन,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर

DIPR/C/12542/2024

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका (जयपुर ग्रामीण)

क्रमांक = राउमावि / वाटिका / जय.ग्रा./ 297 दिनांक 27/11 2024

सार्वजानिक नीलामी सूचना (खुली बोली) संख्या 01/2024-25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका सांगानेर में अनुपयोगी सामग्री की नीलामी जैसा है जहाँ है के आधार पर दिनांक 10/12/2024 को 10 बजे संपन्न की जायेगी। अतः इच्छुक बोलीदाता दिनांक 10/12/2024 को विद्यालय समय में उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी की शर्ते कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

क्र.स.	सामान का विवरण	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	नीलामी का दिनांक व समय
1.	स्थायी/अस्थायी स्टोर सामग्री एवं रही सामग्री	231134.39	5000	10/12/2024 समय 10 बजे

नीलामी सयोजक (कमेटी) को बिना कारण बताए निविदा को रह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रधानाचार्य
राज. उच्च मा.वि. वाटिका
सागानेर, जयपुर

DIPR/C/12222/2024

आम सुचना

मैसर्स शिव शक्ति ग्रेनाईट भिनाय जिला अजमेर दिनांक 16.08.2021 से पंजीयन सं. RF/AJM/2021 4242 दिनांक 26.11.2021 को बनायी गयी है उक्त फर्म में दिनांक 12.09.2024 से निम्न भागीदार निकल रहे है 1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री घनश्याम ओझा उम्र 49 वर्ष निवासी 645 नई घाटी रियां बाड़ी जिला नागोर 2. रामराज पुत्र हुकमाराम उम्र 35 वर्ष निवासी गेमलियास बांस जिला नागोर शेष सभी भागीदार सहमत है शेष भागीदारो का हिस्सा निम्न प्रकार है :-

1. नीलम पुत्री श्री रामेश्वर लाल शर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी सरदो का बास निम्बी जोधान जिला नागोर हिस्सा 20 प्रतिशत
2. मनीष पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 51 वर्ष निवासी कुनड़ावा मेड़ता जिला नागोर हिस्सा 20 प्रतिशत
3. ममता पुत्री श्री भंवरलाल उम्र 39 वर्ष निवासी सुरपुरा, बीखरनीपाकला जिला नागोर हिस्सा 10 प्रतिशत
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री घनश्याम ओझा उम्र 49 वर्ष निवासी 645 नई घाटी रियां बाड़ी जिला नागोर हिस्सा 20 प्रतिशत
5. अशोक सेवलिया पुत्र श्री सुखदेव उम्र 22 वर्ष निवासी 211 सेवलिया जाटो का बास गेमलियास बांस जिला नागोर हिस्सा 20 प्रतिशत
6. लाजवन्ती कंवर पुत्री श्री सत्यदेव खीडिया उम्र 48 वर्ष निवासी चारणो का बास, सुरपुरा बीखरनीपाकला जिला नागोर हिस्सा 10 प्रतिशत

उक्त परिवर्तन से सभी भागीदार सहमत है जिस किसी को भी आपत्ति हो तो उक्त सुचना के प्रकाशन 10 दिन के भीतर निम्न पते सम्पर्क करे।

मैसर्स शिव शक्ति ग्रेनाईटर्स ख.नं. 5798, 5797, 5796, 5793/7659, 5793, 5799, 5795, 5795/7666, भिनाय 305622

मो. 97999068955

मेल आई डी Manishchoudharyt510@gmail.com

वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

VASTU FINSERVE

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
निगमन की तिथि: 28.09.2018;

सीआईएन: U65990MH2018PTC314935,
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 203 और 204, दूसरी मंजिल, ए विंग, नवभारत एस्टेट्स, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई - 400015
टोल फ्री नंबर: 1800 22 0001;
ईमेल: **Secretarial@vastufinserve.com**

शाखा कार्यालय का स्थानांतरण

चूरू में वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (''कंपनी'') का शाखा कार्यालय **28 मार्च, 2025** (प्रभावी तिथि) से नीचे उल्लेखित नए परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा:

पुराना पता	नया पता
वार्ड नंबर 12, टाउन हॉल के पास, चूरू - 331001	प्लॉट नंबर ए-09, सैनिक बस्ती, पंखा रोड, सेक्टर नंबर 01, चूरू- 331001, राजस्थान

पुराना परिसर 27 मार्च, 2025 तक चालू रहेगा। 28 मार्च, 2025 के बाद से, कंपनी के सभी लेनदेन/ग्राहक सेवा अनुरोध केवल नए पते पर भेजे जाने चाहिए।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप हमसे यहां : **customercare@vastufinserve.com** संपर्क कर सकते हैं।

पता: यूनिट नंबर 203 और 204, दूसरी मंजिल, ए विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई - 400015

दिनांक: 07.12.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: चूरू वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र,
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और धारा 13(12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 के साथ पठित हैं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002, ने दिनांक **24-अगस्त-24** को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता **श्री/श्रीमती मुकेश गोचर (आवेदक), श्री/श्रीमती गोबरी लाल (सह-आवेदक), श्री/श्रीमती मोहनी बाई (सह-आवेदक), श्री/श्रीमती -राधेश्याम कुमार (गारंटर),** को खाता संख्या **LP**0000000008060 के ऋण वाले डिमांड नोटिस में उल्लेखित राशि को चुकाने के लिए **रुपये 646119/- (छह लाख छियालीस हज़ार एक सौ उन्नीस रुपये मात्र) 24-अगस्त-24** तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर।

उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा उधारकर्ता, गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13(4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। उक्त अधिनियम इस **04-दिसम्बर-2024** को उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ा गया।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम तौर पर जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (कोटा शाखा)** के प्रभार के अधीन **रुपये 646119/- (छह लाख छियालीस हज़ार एक सौ उन्नीस रुपये मात्र)** और उस पर ब्याज, लागत आदि होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

खसरा नंबर 251, मथना तिराहा, जिला - बारां राजस्थान 325222, क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट।

दिनांक : 02.10.2024 अधिकृत अधिकारी
स्थान : बारां वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एस्टीरिया एयरोस्पेस ने सेना को एटी-15 वीटोल ड्रोन सौंपे

जियो प्लेटफ़ॉर्म्स की इकाई है एस्टीरिया एयरोस्पेस

बेंगलुरु। एस्टीरिया एयरोस्पेस ने भारतीय सेना को एटी-15 वर्टिकल टेकऑफ़ और लैंडिंग (वीटोल) ड्रोन की डिलिवरी पूरी कर दी है। यह अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट है, जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है।

एटी-15 ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह 6,000 मीटर की ऊंचाई पर तेज़ हवाओं में भी काम करने में सक्षम है। 120 मिनट की उड़ान क्षमता और 20 किमी की रेंज वाला यह ड्रोन दिन-रात उच्च-गुणवत्ता वाली निगरानी कर सकता है। एस्टीरिया के निदेशक नील मेहता ने कहा, हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेंगलुरु स्थित कंपनी की अत्याधुनिक रिसर्च लैब भविष्य की तकनीकों पर काम कर रही है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031.
फोन: +91 44 4564 4000 / फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लेखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया। नीचे दिए गए उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए थे, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार निम्नलिखित तालिका में विशेष रूप से वर्णित किया गया है और उक्त राशि पर आगे ब्याज दिया गया है। भी लागू होगा और संबंधित तिथियों से संविदात्मक दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम	धारा 13(2) नोटिस की तारीख	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	36350640	संपत्ति के विरूध ऋण	1. अब्दुल बारी 2. जेहरा बी अब्दुल बारी	14.11.2024	26,99,657.91/-

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल सर्वे नंबर रे-059/628, गोविंद नगर, कच्ची बस्ती, कोटा, राजस्थान में स्थित एक घर, जिसका क्षेत्रफल 960.25 वर्ग फीट है और **इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: सड़क 30 फीट चौड़ी, पश्चिम: नानू भाई का घर, उत्तर: सड़क 40 फुट चौड़ा, दक्षिण: खेल का मैदान**

आपको उपरोक्त तालिका में दिखाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को अनुबंधित ब्याज दर के साथ राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर उनकी संबंधित तारीखें और अन्य लागतें, शुल्क आदि, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत, ऊपर उल्लिखित गिरवी संपत्तियों की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को देय राशि। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 07.12.2024 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ
स्थान: कोटा समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

punjab national bank — Together for the better

pnb | Oriental | United

मुंबई वेस्टर्न सर्कल शास्त्र,
पीएनबी, प्रगति टावर्स, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर सी-9, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई- 400 051
ईमेल: **cs4444@pnb.co.in**

सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित। इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी (ओं) और गारंटर (ओं) और बंधककर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल संपत्ति सुरक्षित ऋणदाता बैंकों अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक को गिरवी / चार्ज की गई है; पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा संबंधित सुरक्षित ऋणदाता बैंकों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है वैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ताओं से इन उपर्युक्त सुरक्षित लेनदार बैंकों के कारण अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित तारीख के आधार पर, गिरवीकर्ता और गारंटर, संबंधित संपत्तियों के सामने आरक्षित मूल्य और बयाना राशि का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता(ओं) का नाम और पता / गिरवीकर्ता/गारंटर का खाता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण / गिरवीकर्ता/संपत्ति के मालिक का नाम	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) एनपीए तिथि पर बकाया राशि सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत कब्ज़ा तिथि डी) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) बी) ईएमडी (नीलामी तिथि से पहले एमएसटीसी वॉलेट में जमा किया जाना है) सी) बोली वृद्धि मात्रा	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण / संपर्क व्यक्ति का नाम और नंबर
1.	**मैसर्स डी एन पॉलिमर (मालिक- श्री धर्मेश बाबूलाल शाह)** फ्लैट नंबर 101, पहली मंजिल, बिल्डिंग नंबर ए-1, कुमार प्रेरणा सीएचएस, डी पी रोड, औंध, ताल हवेली पुणे-411007	संपत्ति का वह सारा हिस्सा और पार्सल जिसमें साम्यिक बंधक शामिल है आवासीय फ्लैट/यूनिट नंबर 203, दूसरी मंजिल, आइडेंटिफाई अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर डी-41, शिव ऑफिसर कॉलोनी स्कीम, 80 फीट रोड, जगतपुरा, जयपुर-302025. प्रशासन क्षेत्र 1050 वर्ग फुट निर्मित	ए) 04-06-2024 बी) एनपीए की तारीख से रुपये 3,91,20,686.32 प्लस ब्याज और शुल्क। सी) 18.09.2024 डी) सांकेतिक	ए) रु. 36,00,000/- बी) रु. 3,60,000/- सी) रु. 5,000/-	26-12-2024 प्रात: 11:00 बजे से 04:00 अपराह्न	कोई भी अवैतनिक सोसायटी रखरखाव बकाया, अवैतनिक उपयोगिता बिल आदि कोई अन्य भार जो प्राधिकृत अधिकारी को ज्ञात न हो / मोबाइल 9935189143 9903085950 9920267874

नियम और शर्तें

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1) संपत्तियों को **''जैसा है जहां है के आधार पर'' और ''जैसा है जो है के आधार पर'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जा रहा है।
2) यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
3) बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **baanknet.com/** पर (उपरोक्त तिथि के अनुसार) प्रात: 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
4) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया -**baanknet.com/**और **www.pnbindia.in** देखें।
5) सोसायटी का कोई अवैतनिक बकाया, रखरखाव या अन्य शुल्क जिसकी जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को न हो।
6) संपर्क व्यक्तियों का नाम: सत्येन्द्र मिश्रा: 9903085950, सुनील कुमार: 9935189143, किरण शिंगाडे: 9920267874

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक
सुरक्षित ऋणदाता

दिनांक: 07.12.2024
स्थान: जयपुर

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED

(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)

पंजीकृत कार्यालय: पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के टूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 साथ में पठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के टूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की हैः
(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;
(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और
(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली–मंडोला ट्रांसमिशन लाइन
2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैं:
(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपलिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)
3. **ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई**
क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट–किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट–किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट–किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट–किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट–किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट–किमी
4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आबंटित लागत शामिल है): रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरणः विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथिः 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथिः 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागतः रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरणः

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	टूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	**2025-26**	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी(यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेल: pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती हैं।।

स्थान: नोएडा श्री अविनाश चंद्र धवन
दिनांक: 07.12.2024 मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.

मासूम से रेप के आरोपी पड़ोसी को 20 साल जेल

अजमेर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 2 लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। पोक्सो कोर्ट 1 के सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 8 नवंबर 2023 को ब्यावर के साकेत नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि 5 नवंबर को उसकी पुत्री हमेशा की तरह पड़ोस के अंकल के घर खेलने गई थी। थोड़ी देर बाद बच्ची रोते हुए आई और बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की और बच्ची जोर-जोर से रोने लगी। पड़ोसी को ओलवा दिया तो उसने धमकी दी कि किसी को बताया तो वह अपनी जान दे देगा। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता ने अपने साथ हुए घटनाक्रम के बारे में इशारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। 20 साल की हुई जेल परिहार ने बताया कि शुक्रवार को मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिए गए बयानों से पुष्टि हुई और आरोपी पड़ोसी पर न्यायाधीश राजीव कुमार ने 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी को 2 लाख का अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने की टिप्पणी न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। आरोपी द्वारा साढे तीन वर्षीय नाबालिग बालिका जो हमेशा की तरह उसके घर खेलने के लिए जाती थी और नाबालिग बच्ची अपने परिचित रिश्तेदार नातेदार पर अटूट विश्वास करते हैं और वही रिश्तेदार बालिका के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो उस नाबालिग बालिका के बाल मन व उसकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसका भोज वह ताउम्र सहन कर मानसिक रूप से पीड़ित रहती है और उसे भार को जिंदगी भर सहन करती है।

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज को यूरिन प्रॉब्लम

अजमेर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के 2 आरोपियों रियाज अत्तारी व मोहसिन और सीरियल किलर सिकंदर उर्फ जीवण को इलाज के लिए अजमेर के छ्ह्ह हॉस्पिटल लाया गया। तीनों को शुक्रवार को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से यहां लाया गया। इस दौरान हॉस्पिटल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया- रियाज को यूरिन की प्रॉब्लम है। उसे टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है। शुक्रवार को उसे जिला हॉस्पिटल लाया गया। यहां यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर ने उसका उपचार किया। दूसरे बंदी मोहसिन के घुटने में दर्द है। उसे चलने-फिरने में दिक्कत हो रही थी। उसका ओपीडी में चेकअप कराकर प्राथमिक उपचार कराया गया है। इसके अलावा तीसरे बंदी सिकंदर उर्फ जीवण का भी घुटने का उपचार चल रहा है। उसे भी चलने-फिरने में दिक्कत होती है। उसे इलाज के लिए हर महीने लाया जा रहा है। मोहसिन और सिकंदर को ओपीडी में चेक कराया और प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद तीनों को हथियारबंद जवान, सिविल लाइन सहित और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बंद हैं रियाज और मोहसिन बता दें कि उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गला काटकर हत्या करने के आरोप में रियाज अत्तारी और मोहसिन अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। शुक्रवार सुबह रियाज की दिक्कत बढ़ गई थी। उसके साथ मोहसिन और सिकंदर को भी हथियारबंद पुलिस की मौजूदगी में हॉस्पिटल लाया गया।

संबंधित डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराया और दोबारा जेल में शिफ्ट कर दिया। हत्या में रियाज-मोहसिन की क्या भूमिका थी उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या 28 जून 2022 को हुई थी। 8 जून को उसके बेटे ने गलती से एक विवादित पोस्ट डाली थी। 11 जून को पड़ोसी नाजिम ने कन्हैयालाल के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी। कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 जून को कन्हैया की दुकान की रेकी की गई। 15 जून को दोनों पक्षों में समझाइश हो गई। 18 जून को पुलिस ने कन्हैया को 6 दिन से बंद पड़ी दुकान खोलने को कहा। 20 से 24 जून तक कन्हैया को धमकियां मिलती रहीं।

उच्चतम न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को जमानत दी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने 1987 में 'प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी' (पीएसी) के कर्मियों द्वारा 38 लोगों की कथित हत्या से जुड़े हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चार दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की इन दलीलों पर गौर किया कि उन्हें बरी करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पलटे जाने के बाद से वे लंबे समय से जेल में हैं। तिवारी ने शुक्रवार को समी उल्ला, निरंजन लाल, महेश प्रसाद और जयपाल सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए दलील दी कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से छह साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं को पहले अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है तथा अधीनस्थ अदालत में सुनवाई और अपील प्रक्रिया के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने यह भी दलील दी कि अधीनस्थ अदालत द्वारा सोच-विचारकर पारित किये गए बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलटने का गलत आधार पर निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने दलीलों पर गौर किया और आठ दोषियों की आठ लंबित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था, जब पीएसी की 41वीं बटालियन की 'सी-कंपनी' के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से लगभग 50 मुस्लिम पुरुषों को कथित तौर पर घेर लिया था।

सांप्रदायिक दंगों के कारण पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बहाने शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया था, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी तथा केवल पांच लोग ही इस भयावह घटना को बयां करने के लिए बचे। अधीनस्थ अदालत ने 2015 में 16 पीएसी कर्मियों को उनकी पहचान और संलिप्तता को साबित करने वाले साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलट दिया और 16 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के साथ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED
(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)

पंजीकृत कार्यालयः पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के टूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 साथ में पठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के टूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की हैः

(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;
(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और
(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली–मंडोला ट्रांसमिशन लाइन

2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैंः
(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपलिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)

3. **ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई**
क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट–किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट–किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट–किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट–किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट–किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट–किमी

4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आबंटित लागत शामिल है): रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरणः विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथिः 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथिः 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागतः रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरणः

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	टूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी(यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेलः pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती हैं।।

स्थानः नोएडा
दिनांकः 07.12.2024
श्री अविनाश चंद्र धवन
मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.

किरोड़ी बोले-मेरी सरकार में मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ

जयपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आज (शुक्रवार) को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा- मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं। किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा- सीआई कविता शर्मा देर रात एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी। मुझसे गलती हो गई कि मैं उन्हें बचाने के लिए मौके पर चला गया। आगे से मैं मौके पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- सीआई कविता शर्मा मंजू शर्मा के घर में जबरन घुसी। उसके माता-पिता ने उन्हें मना भी किया। वह जबरन घुसकर मंजू शर्मा को उठा लाई। इससे उसकी दादी दहशत में आ गई। आज उसकी दादी की मौत हो गई है। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा- भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से पूछ कर नाम का खुलासा करूंगा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा- कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी और नेता बचा रहे हैं। इसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। उन्होंने कहा- मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूछने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सीआई कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी अब तक बचाते आए हैं। वहीं कौन-कौन से नेता इसमें शामिल हैं। मीडिया के सवालों पर भड़के किरोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों पर भी किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। जब किरोड़ी से पूछा गया कि सरकार तो आपकी ही है। इस पर किरोड़ीलाल मीणा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का अधिकारी सो जाए तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने तीन बार कहा कि मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा- 2017 में कविता शर्मा और उनकी बहनों पर एक प्लॉट का फर्जी पट्टा बनाने का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन डीजी ने इस मामले में चार्जशीट पेश नहीं होने दी।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है एचपीवी टीकाः नड्डा ने लोकसभा में कहा

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि

'ह्यूमन पेपिलोमावायरस' (एचपीवी) टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एचपीवी संक्रमण से सर्विकल या गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर होता है।

नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग की सेवाएं आशा और एएनम कार्यकर्ता महिलाओं समेत प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही है। नड्डा ने कहा कि आबादी आधारित स्त्रीमेनिंग से जल्द रोग की पहचान और उपचार के माध्यम से बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिलती है।

भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनएचएम के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला नहीं किया गयाः सरकार

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न पुराने पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया है? इसके जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, ''जी नहीं, बहरहाल पुलों के अनुपयोगी परित्यक्त हिस्सों जैसे स्टील गर्डर आदि को स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है ताकि परित्यक्त सामग्री का मूल्य प्राप्त किया जा सके।'' मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में परित्यक्त रेलवे पुलों को राज्य सरकार के अनुरोध पर पर्यटन आदि के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है।

मुंद्रा बंदरगाह से करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी पर कोई कार्रवाई नहींः प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से अब तक 21,000 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी के बावजूद केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि बंदरगाह मालिक एक बड़े उद्योगपति हैं।

शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने बड़ी संख्या में देश के युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने पर चिंता जताते हुए कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन देश के शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

उन्होंने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश की आबादी में 10 से 75 वर्ष आयु तक के करीब 20 प्रतिशत लोग किसी न किसी नशे के आदी है जबकि एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक अवैध ड्रग कारोबार का आकार लगभग 30,000 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर जून 2023 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों की मौत के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए तिवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इनमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी से उपजी समस्याओं के चलते सात से आठ लोग औसतन रोज आत्महत्या करते हैं। तिवारी ने कहा कि कई प्रमुख भारतीय शहर सिंथेटिक ड्रग से भरे पड़े हैं तथा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की सीमाओं से ड्रग्स की तस्करी के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं।

उन्होंने कहा, ''नशीली दवाओं की तस्करी से भारत की सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। जब-जब ड्रग्स की आपूर्ति की बात होती है तब-तब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर आता है। यह बंदरगाह नशे की आपूर्ति को लेकर बदनाम हो चुका है।'' उन्होंने कहा, ''कुछ महीने ही गुजरते हैं कि मुंद्रा पोर्ट पर नशे की खेप बरामद होने की खबर आ जाती है। यह बड़ा बंदरगाह हैं, जहां 21,000 करोड रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। आए दिन करोड़ की ड्रग्स वहां से जब्त होती है। गुजरात ड्रग्स का केंद्र बन गया है और सारे ड्रग्स मुद्रा पोर्ट से निकल रही हैं लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है।'' कांग्रेस सदस्य ने आरोप लगाया कि मुद्रा पोर्ट के मालिक एक प्रमुख उद्योगपति हैं और इसलिए केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कृषि प्रधान राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़कर पंजाब में 'कृत्रिम संकट' पैदा कर रहा है जहां किसानों, आढ़तियों और चावल मिल मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चावल मिलों के मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए, पाठक ने पूछा कि क्या फसल के मौसम के अनुसार खरीद और भंडारण की प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है और यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया।

संसद में सोरोस मुद्दे और नोट गड्डी मिलने पर हंगामा, दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। संसद में शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध होने और उन पर देश की सरकार और संसद को अस्थिर करने के आरोपों और राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के समीप 500 रूपये के नोट की गड्डी मिलने को लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा।

हंगामे के कारण जहां लोकसभा को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजकर दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले का कामकाज लगभग सामान्य ढंग से चलने के बाद गैर सरकारी कामकाज नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बृहस्पतिवार को उच्च सदन में नोटों की गड्डी मिलने के मामले में कांग्रेस से जवाब मांगते हुए हंगामा कर रहे थे और इसके कारण बैठक को दोपहर दो बजकर चार मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शून्यकाल में सदन को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी ने राज्यसभा में उनकी सीट से ''500 रुपये के नोटों की गड्डी मिलने'' की बात पर हैरानी जताई और कहा कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होना हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सदन में जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का एक नोट होता है और अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा कल कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी पर लगाये गये आरोपों से जुड़े विषय को उठाने का प्रयास किया, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की। हंगामा थमते न देख उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने निशिकांत दुबे को बोलने की अनुमति दी। भाजपा सांसद दुबे ने शून्यकाल में कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दस सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस नेता ने सोरोस से पैसा लिया? दुबे के बयानों पर कांग्रेस सदस्य आपत्ति जताने लगे और आसन के समीप आ गए। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने कार्यवाही करीब 12.10 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नीदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व कार्यालय ए-46,गली नं. 4, विष्णु हिल टॉउन, सीआरपीएफ के पास, अजमेर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com

अलवर के 2 लड़कों ने डिजिटल-अरेस्ट कर ठगे 54 लाख

अलवर/बहरोड, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। अलवर में सैलून की दुकान में काम करने और पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे 2 लड़कों को आज (शुक्रवार) छत्तीसगढ़ की बिलासपुर साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बिलासपुर के रिटायर्ड अधिकारी जय सिंह चंदेल (71) को डिजिटल अरेस्ट कर 54 लाख 30 हजार की ठगी की थी। बिलासपुर क्राइम ब्रांच के अधिकारी विजय चौधरी ने बताया- अलवर से दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। इनमें निकुंज (20) पुत्र ताराचन्द निवासी स्कीम तीन और लक्ष्य सैनी (20) पुत्र बाबूलाल सैनी निवासी शिवाजी पार्क है। तीसरा आरोपी गौरव फरार है। इनके मोबाइल और बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। एक लड़का सैलून में काम करता है, दूसरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा है। एक के पिता टेन्ट हाउस चलाते हैं और दूसरे के कुरियर कंपनी में काम करते हैं। एक युवक के बैंक अकाउंट में ठगी की कुछ राशि ट्रांसफर हुई है। उसके अकाउंट से 8 से 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दूसरे के फोन का इस्तेमाल ओटीपी के लिए किया गया है। इनका तीसरा साथी फरार है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसी साल जुलाई में बनाया रिटायर्ड कर्मचारी को निशाना इसी साल जुलाई में बिलासपुर (छत्तीसगढ़) रेंज साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। यह एफआईआर सेंट्रल सर्विस से रिटायर्ड 71 साल जय सिंह चंदेल ने दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने की बात कहकर मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया है। उन लोगों ने 54 लाख 30 हजार रुपए ठग लिए। इस मामले में हम जुलाई से ही एक्शन ले रहे थे। इसमें सितंबर माह में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 से 23 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। इन आरोपियों में एक हरियाणा, दो श्रीगंगानगर व तीन आरोपी अलवर के हैं। अब तक 5 गिरफ्तार हो गए। एक फरार है। कुछ राशि अलवर के एक अकाउंट में पहुंची तो हमें टेक्निकल इनपुट मिला था कि दो आरोपी अलवर (राजस्थान) में है। इसी आधार पर अलवर से इन दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में तीन आरोपी विजय निवासी शेरावली थाना जिला सिरसा हरियाणा, अमित जालत निवासी सादुल शहर श्रीगंगानगर राजस्थान, निखिल निवासी श्रीगंगानगर को अरेस्ट किया जा चुका है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में तीन आरोपी विजय निवासी शेरावली थाना जिला सिरसा हरियाणा, अमित जालत निवासी सादुल शहर श्रीगंगानगर राजस्थान, निखिल निवासी श्रीगंगानगर को अरेस्ट किया जा चुका है। ठगी में दोनों युवकों की क्या भूमिका थी अधिकारी विजय चौधरी ने बताया- इन लड़कों का बैंक अकाउंट ठगी की राशि शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे हमें 8 से 9 लाख रुपए की राशि मिली है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दूसरे युवक का है जिस पर ओटीपी आया है। ये लोग एक रैकेट बनाकर काम करते हैं। हमने पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, अब दो पकड़े गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को पकड़ा जा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। गिरोह कैसे काम करता है अधिकारी विजय चौधरी ने बताया- इन लोगों का एक खास पैटर्न है। कुछ लोग फर्जी सिम और नंबर उपलब्ध कराते हैं। कुछ फर्जी खातों की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग कॉल करते हैं। कुछ पैसा विड्रोल करने का काम करते हैं। एक रैकेट की तरह पूरा तंत्र साथ में काम करता है। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ ठगी की शुरुआत अलवर से ही हुई थी। यहीं से ठगी के लिए कॉल किए गए। फिर आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर कॉल करने लगे। ताकि पुलिस इन तक पहुंच न पाए और गुमराह होती रहे। किस तरह की 54 लाख की ठगी अधिकारी विजय चौधरी ने बताया- आरोपियों ने जय सिंह चंदेल के मोबाइल पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया और वॉट्सऐप पर एफआईआर की कॉपी भेजी।

बकरा बंधे पिंजरे में नहीं घुसा लेपर्ड

अलवर/बहरोड, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। अलवर शहर के आरआर कॉलेज परिसर के जंगल में लेपर्ड गुरुवार रात करीब 12 बजे आसपास बने मकानों के नजदीक तक आ गया। जहां कुत्ते को भौंकता देखा तो लोग बाहर आए। इसके बाद लेपर्ड को वहां से जाते देखा गया। लेपर्ड यहां शिकार करने के लिए पिंजरे के अंदर नहीं घुसा। बकरा बंधे इस पिंजरे के बाहर तक जरूर गया। लेकिन वहां कुछ देर आराम करने के बाद लौट गया। वहीं अब लेपर्ड की तलाश के लिए ड्रोन कैमरे से सर्च करने की तैयारी की जा रही है। पहली बार 1 दिसंबर को महिलाओं ने देखा था वहीं लेपर्ड ने आसपास बने खंडहरनुमान मकानों में आराम करने की जगह बना ली। अब वनकर्मी लेपर्ड को उसके आराम करने की जगह पहुंचकर ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास करेंगे। पिछले 6 दिनों से लेपर्ड जंगल में है। जिसे पहली बार 1 दिसंबर को आरआर कॉलेज में घूमने आई महिलाओं ने देखा था। उसके बाद से पिछले 5 दिनों से लगातार यहां लेपर्ड की मूवमेंट हो रही है। इसे पकड़ने के लिए पिंजरा और शिकार भी डाले गए।

उच्चतम न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को जमानत दी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने 1987 में 'प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी' (पीएसी) के कर्मियों द्वारा 38 लोगों की कथित हत्या से जुड़े हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चार दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की इन दलीलों पर गौर किया कि उन्हें बरी करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पलटे जाने के बाद से वे लंबे समय से जेल में हैं। तिवारी ने शुक्रवार को समी उल्ला, निरंजन लाल, महेश प्रसाद और जयपाल सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए दलील दी कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से छह साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं को पहले अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है तथा अधीनस्थ अदालत में सुनवाई और अपील प्रक्रिया के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने यह भी दलील दी कि अधीनस्थ अदालत द्वारा सोच-विचारकर पारित किये गए बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलटने का गलत आधार पर निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने दलीलों पर गौर किया और आठ दोषियों की आठ लंबित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था, जब पीएसी की 41वीं बटालियन की 'सी-कंपनी' के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से लगभग 50 मुस्लिम पुरुषों को कथित तौर पर घेर लिया था।

सांप्रदायिक दंगों के कारण पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बहाने शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया था, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी तथा केवल पांच लोग ही इस भयावह घटना को बयां करने के लिए बचे। अधीनस्थ अदालत ने 2015 में 16 पीएसी कर्मियों को उनकी पहचान और संलिप्तता को साबित करने वाले साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलट दिया और 16 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के साथ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED
(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)
पंजीकृत कार्यालयः पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के टूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 साथ में पठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के टूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की हैः
(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;
(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और
(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली—मंडोला ट्रांसमिशन लाइन
2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैं:
(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपलिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)
3. ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई
क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट—किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट—किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट—किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट—किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट—किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट—किमी
4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आबंटित लागत शामिल है): रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरणः विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथिः 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथिः 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागतः रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरणः

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	टूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी(यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेलः pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती हैं।।

स्थानः नोएडा
दिनांकः 07.12.2024
श्री अविनाश चंद्र धवन
मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.

किरोड़ी बोले- मेरी सरकार में मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ

जयपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आज (शुक्रवार) को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा- मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं। किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा- सीआई कविता शर्मा देर रात एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी। मुझसे गलती हो गई कि मैं उन्हें बचाने के लिए मौके पर चला गया। आगे से मैं मौके पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- सीआई कविता शर्मा मंजू शर्मा के घर में जबरन घुसी। उसके माता-पिता ने उन्हें मना भी किया। वह जबरन घुसकर मंजू शर्मा को उठा लाई। इससे उसकी दादी दहशत में आ गई। आज उसकी दादी की मौत हो गई है। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा- भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से पूछ कर नाम का खुलासा करूंगा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा- कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी और नेता बचा रहे हैं। इसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। उन्होंने कहा- मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूछने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सीआई कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी अब तक बचाते आए हैं। वहीं कौन-कौन से नेता इसमें शामिल हैं। मीडिया के सवालों पर भड़के किरोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों पर भी किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। जब किरोड़ी से पूछा गया कि सरकार तो आपकी ही है। इस पर किरोड़ीलाल मीणा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का अधिकारी सो जाए तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने तीन बार कहा कि मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा- 2017 में कविता शर्मा और उनकी बहनों पर एक प्लॉट का फर्जी पट्टा बनाने का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन डीजी ने इस मामले में चार्जशीट पेश नहीं होने दी।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है एचपीवी टीका: नड्डा ने लोकसभा में कहा

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 'ह्यूमन पेपिलोमावायरस' (एचपीवी) टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एचपीवी संक्रमण से सर्विकल या गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर होता है।

नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग की सेवाएं आशा और एएनम कार्यकर्ता महिलाओं समेत प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही है। नड्डा ने कहा कि आबादी आधारित स्क्रीमेनिंग से जल्द रोग की पहचान और उपचार के माध्यम से बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिलती है।

भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनएचएम के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला नहीं किया गया: सरकार

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न पुराने पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया है? इसके जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, "जी नहीं, बहरहाल पुलों के अनुपयोगी परित्यक्त हिस्सों जैसे स्टील गर्डर आदि को स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है ताकि परित्यक्त सामग्री का मूल्य प्राप्त किया जा सके।" मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में परित्यक्त रेलवे पुलों को राज्य सरकार के अनुरोध पर पर्यटन आदि के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है।

मुंद्रा बंदरगाह से करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी पर कोई कार्रवाई नहीं: प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से अब तक 21,000 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी के बावजूद केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि बंदरगाह मालिक एक बड़े उद्योगपति हैं।

शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने बड़ी संख्या में देश के युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने पर चिंता जताते हुए कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन देश के शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश की आबादी में 10 से 75 वर्ष आयु तक के करीब 20 प्रतिशत लोग किसी न किसी नशे के आदी है जबकि एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक अवैध ड्रग कारोबार का आकार लगभग 30,000 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर जून 2023 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों की मौत के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए तिवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इनमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी से उपजी समस्याओं के चलते सात से आठ लोग औसतन रोज आत्महत्या करते हैं।

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन 6 के तहत
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

सिनर्जी पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण		
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	सिनर्जी पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19/09/2001
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	आरओसी दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U74999DL2001PTC112462
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** 78, भूतल राष्ट्रीय पार्क, लाजपत नगर 4, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110024 अन्य पताः रोट नं 481, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, राजस्थान
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख	03-12-2024 (आदेश की तिथि) (आदेश की तिथि मेल प्राप्त 04-12-2024)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तारीख	01-06-2025 (दिवालियापन प्रारंभ तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	संजीत कुमार शर्मा IBBVIPA 001/IP-P01132/2018-19/11827 एएफए नं. एए1/11827/02/211224/106682
9.	बोर्ड के पास पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल	बीई 149, स्ट्रीट नंबर 5, हरि नगर, दिल्ली-110064 ईमेलः sansharma1975@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	बीई 149, स्ट्रीट नंबर 5, हरि नगर, दिल्ली-110064 ईमेल : cirp.synergyetro@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18-12-2024
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हों, सुनिश्चित की गई हैं	वर्ग (वर्गों) का नाम बताएं शून्य
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	-एनए-
14.	(ए) प्रासंगिक प्रपत्र और (बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	(ए) वेब लिंक http://ibbi.gov.in/en/home/downloads (बी) लागू नहीं

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 03-13-2024 [दिवालियापन प्रारंभ तिथि] को **सिनर्जी पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार)** की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
सिनर्जी पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) के लेनदारों को इसके द्वारा 18-12-2024 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है [अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति से चौदह दिन की तारीख डालें] अंतरिम तक प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लेखित पते पर समाधान पेशेवर।
वित्तीय ऋणदाता अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय ऋणदाता, जैसा कि प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध है, फॉर्म सीए में वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।
दावे के गलत या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

-एसडी-
श्री संजीत कुमार शर्मा
अंतरिम समाधान पेशेवर
सिनर्जी पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
पंजीकरण संख्याः-आईबीबीआई/आईपीए 001/आईपी-पी01132/2018-19/11827
एएफए नं. एए1/11827/02/211224/106682

दिनांकः 06-12-2024
स्थानःनई दिल्ली

संसद में सोरोस मुद्दे और नोट गड्डी मिलने पर हंगामा, दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। संसद में शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध होने और उन पर देश की सरकार और संसद को अस्थिर करने के आरोपों और राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के समीप 500 रूपये के नोट की गड्डी मिलने को लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा। हंगामे के कारण जहां लोकसभा को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजकर दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले का कामकाज लगभग सामान्य ढंग से चलने के बाद गैर सरकारी कामकाज नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बृहस्पतिवार को उच्च सदन में नोटों की गड्डी मिलने के मामले में कांग्रेस से जवाब मांगते हुए हंगामा कर रहे थे और इसके कारण बैठक को दोपहर दो बजकर चार मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शून्यकाल में सदन को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी ने राज्यसभा में उनकी सीट से "500 रुपये के नोटों की गड्डी मिलने" की बात पर हैरानी जताई और कहा कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होना हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सदन में जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का एक नोट होता है और अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा कल कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी पर लगाये गये आरोपों से जुड़े विषय को उठाने का प्रयास किया, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की। हंगामा थमते न देख उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने निशिकांत दुबे को बोलने की अनुमति दी।

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नीदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व कार्यालय दुकान नं. 1 वार्ड नं. 1, इण्डियन मेडिकल हॉल के पास, हमीन्दपुर रोड़, बहरोड़, जिला-अलवर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बरः 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com

भोपालगढ़ में घुमंतू परिवारों का शिविर

जोधपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। घुमंतू और अर्द्ध घुमंतु परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शुक्रवार को भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के उस्तरा गांव में शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार खरताराम चौधरी और सरपंच जानकीदेवी अर्जुनराम धेडू की मौजूदगी में आयोजित किया गया। सहायक विकास अधिकारी ओमप्रकाश जाखड़ ने बताया- राज्य सरकार की ओर से इन दिनों घुमंतु परिवारों एवं अर्ध घुमंतु परिवारो को पहचान पत्र, आवास,पेंशन,पट्टा सहित कई योजनाओं के लाभ देने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है ।जिसके तहत शुक्रवार को उस्तरा, हिरादेसर, रूदिया,बीरानी, गादेरी ग्राम पंचायत के लगभग 20 परिवारों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों की लाइन लगी हुई है। कार्यक्रम में तहसीलदार खरताराम चौधरी, सरपंच जानकी देवी अर्जुजराम धेडू,सहायक विकास अधिकारी ओमप्रकाश जाखड़,ग्राम विकास अधिकारी शोभाराम जाट सहित कई जने मौजूद थे।

राजस्थान में बादल छाएंगे, तेज होगी सर्दी

जोधपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने के साथ ही तापमान नीचे आ गया है। इसके चलते गुरुवार को सीकर हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा रहा। यहां मिनिमम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, अब उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़-गंगानगर के एरिया में 8-9 दिसंबर को कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं। इसके साथ दिसंबर के दूसरे सप्ताह के मध्य में (10-11 दिसंबर से) सर्दी और तेज होने की संभावना है। इस दौरान दिन में भी सर्द हवा चलने के साथ रात में गलनभरी सर्दी होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया- 7 दिसंबर से उत्तर भारत में एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इसी सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में 8-9 दिसंबर को हल्के बादल भी छा सकते हैं। ये सिस्टम जब 9 दिसंबर को उत्तर भारत से आगे निकल जाएगा। इसके बाद 10-11 दिसंबर से राजस्थान

में सर्दी और तेज होगी। तेज सर्द हवा चलने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। इस दौरान शेखावाटी के सीकर, चूरू जिलों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। सीकर, चूरू में सीजन की सबसे सर्द रात गुरुवार को सीकर-चूरू जिले में सीजन की सबसे सर्द रात रही। सीकर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो हिल स्टेशन माउंट आबू के तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। चूरू में कल न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पिलानी में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 9.8, करौली में 10, बारां में 10.4 और उदयपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। उत्तरी राजस्थान के एरिया में सुबह-शाम हल्की सर्द हवाएं भी चली, जिससे रात में ठिठुरन रही। दिन में आसमान साफ, पारा भी गिरा रात के साथ ही दिन में भी तापमान में कई शहरों में गिरावट हुई। हालांकि इस दौरान पूरे राजस्थान में आसमान बिल्कुल साफ रहा। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर में 29.6, जोधपुर में 29, बीकानेर में 28.2, कोटा में 28 और राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान कल 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में कल शाम को सूरज ढलने के साथ ही हल्की सर्द हवाएं भी चली।

हाईकोर्ट बिल्डिंग के पांच वर्ष पूरे

जोधपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता)। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हाईकोर्ट ने नए भवन की पांचवीं वर्षगांठ मनाई। शाम चार बजे नवीन राजस्थान उच्च न्यायालय भवन स्थापना की पंचम वर्षगाँठ झालामण्ड स्थित उच्च न्यायालय परिसर में मनाई गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द पुरोहित ने बताया कि वर्ष 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन के उद्घाटन के बाद हर वर्ष की तरह इस बार भी लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा एक-दुसरे का मुंह मीठा करवाकर हर्षोल्लास से मनायी गयी। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर अतिथि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस मनोज कुमार गर्ग व जस्टिस फरजन्द अली, वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण, राजकीय अधिवक्तागण, एसोसिएशन के महासचिव मनीष टाक, उपाध्यक्ष पिन्टु पारीक, सहसचिव ऋषि सोनी, कोषाध्यक्ष शुभम मोदी,गोपाल सान्दू, राहुल व्यास सहित बार कौंसिल सदस्यगण, लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारीगण सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

उच्चतम न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को जमानत दी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने 1987 में 'प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी' (पीएसी) के कर्मियों द्वारा 38 लोगों की कथित हत्या से जुड़े हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चार दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की इन दलीलों पर गौर किया कि उन्हें बरी करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पलटे जाने के बाद से वे लंबे समय से जेल में हैं। तिवारी ने शुक्रवार को समी उल्ला, निरंजन लाल, महेश प्रसाद और जयपाल सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए दलील दी कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से छह साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं को पहले अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है तथा अधीनस्थ अदालत में सुनवाई और अपील प्रक्रिया के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने यह भी दलील दी कि अधीनस्थ अदालत द्वारा सोच-विचारकर पारित किये गए बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलटने का गलत आधार पर निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने दलीलों पर गौर किया और आठ दोषियों की आठ लंबित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था, जब पीएसी की 41वीं बटालियन की 'सी-कंपनी' के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से लगभग 50 मुस्लिम पुरुषों को कथित तौर पर घेर लिया था।

सांप्रदायिक दंगों के कारण पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बहाने शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया था, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी तथा केवल पांच लोग ही इस भयावह घटना को बयां करने के लिए बचे। अधीनस्थ अदालत ने 2015 में 16 पीएसी कर्मियों को उनकी पहचान और संलिप्तता को साबित करने वाले साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलट दिया और 16 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के साथ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED
(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)

पंजीकृत कार्यालयः पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के टूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 साथ में पठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के टूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की हैः
(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;
(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और
(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली–मंडोला ट्रांसमिशन लाइन
2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैं:
(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपलिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)
3. **ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई**
क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट–किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट–किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट–किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट–किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट–किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट–किमी
4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आबंटित लागत शामिल है): रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरणः विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथिः 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथिः 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागतः रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरणः

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	टूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी(यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेलः pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती हैं।।

स्थानः नोएडा | श्री अविनाश चंद्र धवन
दिनांकः 07.12.2024 | मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.

किरोड़ी बोले-मेरी सरकार में मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ

जयपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आज (शुक्रवार) को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा- मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं। किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा- सीआई कविता शर्मा देर रात एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी। मुझसे गलती हो गई कि मैं उन्हें बचाने के लिए मौके पर चला गया। आगे से मैं मौके पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- सीआई कविता शर्मा मंजू शर्मा के घर में जबरन घुसी। उसके माता-पिता ने उन्हें मना भी किया। वह जबरन घुसकर मंजू शर्मा को उठा लाई। इससे उसकी दादी दहशत में आ गई। आज उसकी दादी की मौत हो गई है। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा- भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से पूछ कर नाम का खुलासा करूंगा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा- कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी और नेता बचा रहे हैं। इसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। उन्होंने कहा- मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूछने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सीआई कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी अब तक बचाते आए हैं। वहीं कौन-कौन से नेता इसमें शामिल हैं। मीडिया के सवालों पर भड़के किरोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों पर भी किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। जब किरोड़ी से पूछा गया कि सरकार तो आपकी ही है। इस पर किरोड़ीलाल मीणा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का अधिकारी सो जाए तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने तीन बार कहा कि मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा- 2017 में कविता शर्मा और उनकी बहनों पर एक प्लॉट का फर्जी पट्टा बनाने का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन डीजी ने इस मामले में चार्जशीट पेश नहीं होने दी।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है एचपीवी टीकाः नड्डा ने लोकसभा में कहा

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि

'ह्यूमन पेपिलोमावायरस' (एचपीवी) टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एचपीवी संक्रमण से सर्विकल या गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर होता है।

नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग की सेवाएं आशा और एएनम कार्यकर्ता महिलाओं समेत प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही है। नड्डा ने कहा कि आबादी आधारित स्क्रीमेनिंग से जल्द रोग की पहचान और उपचार के माध्यम से बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिलती है।

भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनएचएम के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला नहीं किया गयाः सरकार

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न पुराने पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया है? इसके जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, ''जी नहीं, बहरहाल पुलों के अनुपयोगी परित्यक्त हिस्सों जैसे स्टील गर्डर आदि को स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है ताकि परित्यक्त सामग्री का मूल्य प्राप्त किया जा सके।'' मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में परित्यक्त रेलवे पुलों को राज्य सरकार के अनुरोध पर पर्यटन आदि के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है।

मुंद्रा बंदरगाह से करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी पर कोई कार्रवाई नहीं: प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से अब तक 21,000 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी के बावजूद केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि बंदरगाह मालिक एक बड़े उद्योगपति हैं। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने बड़ी संख्या में देश के युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने पर चिंता जताते हुए कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन देश के शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश की आबादी में 10 से 75 वर्ष आयु तक के करीब 20 प्रतिशत लोग किसी न किसी नशे के आदी है जबकि एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक अवैध ड्रग कारोबार का आकार लगभग 30,000 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर जून 2023 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों की मौत के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए तिवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इनमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी से उपजी समस्याओं के चलते सात से आठ लोग औसतन रोज आत्महत्या करते हैं। तिवारी ने कहा कि कई प्रमुख भारतीय शहर सिंथेटिक ड्रग से भरे पड़े हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–ऑक्शन आमंत्रित करने की सूचना
No.- Comml/E-auction/2024/121
Date: 05.12.2024
उक्त के सन्दर्भ में स्टेशन पर क्लॉक रूम एवं डिजिटल लॉकर एवं कैटरिंग के ठेके हेतु ई–ऑक्शन आमंत्रित की गई है। कैटलॉग IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा चुके हैं। **1. कार्य का नामः** (1) जोधपुर मंडल के स्टेशन पर क्लॉक रूम एवं डिजिटल लॉकर के ठेके हेतु ई–ऑक्शन (2) जोधपुर मंडल के स्टेशन पर कैटरिंग के ठेके हेतु ई–ऑक्शन; **2. कार्य की अवधिः** (1) क्लॉक रूम एवं डिजिटल लॉकरः 3 वर्ष। (2) कैटरिंग 5 वर्ष; **3. लॉट के ई–ऑक्शन प्रारंभ की तिथि व समयः (1)** Cloak Room & Digital Locker: (1) Cloak Room-JU-1 दिनांक 18.12.2024 को 11:00 बजे से **(2)** CATERING: (1) CATG-JU-30-24 दिनांक 18.12.2024 को 13:00 बजे से; **वेबसाइट जहाँ से लॉट वाइज ई– ऑक्शन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है: www.ireps.gov.in** 1397-AN/24
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(formerly Fullerton India Credit Company Limited)
SMFG IndiaCredit Pragati Ki Nayi Pehchaan
कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 उत्तर एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

कब्ज़ा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)** का अधिकृत अधिकारी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनामल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई तमिलनाडु-600095 है और कॉर्पोरेट कार्यालय, मंजिल 5 और 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लेक कास्ट के पीछे, पवई, मुंबई 400 076, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54) के तहत 2002), और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.09.2024 को डिमांड नोटिस जारी कर उधारकर्ता (ओं) को बुलाया गया, **(1) धन्ना राम थाकन, (2) जमना हीरा, (3) जाला राम, को ऋण खाता संख्यों #191420910729514 एवं #191420910618584,** के तहत नोटिस में उल्लेखित राशि **रुपये 30,14,283.00/- (तीस लाख चौदह हज़ार दो सौ तिरासी रुपये मात्र)**, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।
उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। अधिनियम की धारा 13 को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ **06, दिसंबर 2024 का दिन** पढ़ा जाए।
विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रुपये की राशि के लिए एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) के शुल्क के अधीन होगा **रुपये 30,14,283.00/- (तीस लाख चौदह हज़ार दो सौ तिरासी रुपये मात्र)** और उस पर ब्याज।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति के मालिक का नाम - श्री धन्ना राम थकन, संपत्ति विवरण– पट्टा नं. 04, मिसल नं. 4/2008-09 ग्राम जजीवाल जखड़ो, ग्राम पंचायत- जजीवाल क्लान, पंचायत समिति मंडोर जोधपुर, माप क्षेत्र 245 वर्ग। (2) संपत्ति के मालिक - श्री जलाराम। संपत्ति विवरण - पट्टा नं. 10, मिसल नं. 10/2008-09 ग्राम- जजीवाल जखड़ो, ग्राम पंचायत- जजीवाल क्लान, पंचायत समिति- मंडोर जोधपुर, क्षेत्रफल 401 वर्ग गज।

स्थानः जोधपुर दिनांकः 07.12.2024 | एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

संसद में सोरोस मुद्दे और नोट गड्डी मिलने पर हंगामा, दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। संसद में शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध होने और उन पर देश की सरकार और संसद को अस्थिर करने के आरोपों और राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के समीप 500 रूपये के नोट की गड्डी मिलने को लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा।

हंगामे के कारण जहां लोकसभा को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजकर दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले का कामकाज लगभग सामान्य ढंग से चलने के बाद गैर सरकारी कामकाज नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बृहस्पतिवार को उच्च सदन में नोटों की गड्डी मिलने के मामले में कांग्रेस से जवाब मांगते हुए हंगामा कर रहे थे और इसके कारण बैठक को दोपहर दो बजकर चार मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शून्यकाल में सदन को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी ने राज्यसभा में उनकी सीट से ''500 रुपये के नोटों की गड्डी मिलने'' की बात पर हैरानी जताई और कहा कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होना हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सदन में जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का एक नोट होता है और अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा कल कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी पर लगाये गये आरोपों से जुड़े विषय को उठाने का प्रयास किया, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की। हंगामा थमते न देख उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

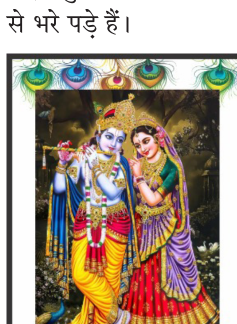
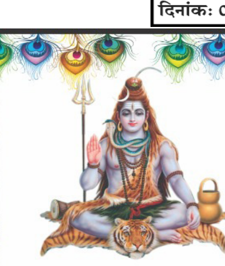
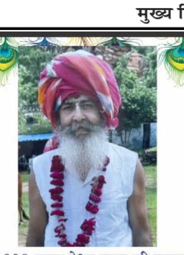

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः । सर्वे सन्तु निरामयाः॥
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु । मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ॥

श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानगंगा (संगीतमय)
एवं एक कुण्डात्मक यज्ञ

शनिवार, 7 दिसम्बर से शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024 तक
प्रतिदिन दोपहर 1:00 बजे से सायं 4:15 बजे तक

कथा समापन पूर्णाहुति हवन व प्रसादी भंडारा, 13 दिसम्बर 2024,
विशाल कलश यात्रा
शनिवार, 7 दिसम्बर 2024 को
प्रातः 11:15 बजे दुगाय माता मंदिर हरमाड़ा से गाजे बाजे के साथ श्री धाम गोपाली पहुँचेगी।

कथा वाचक :
महाराज राजेन्द्र बृजवासी
नदबई, गोवर्धन धाम, मो. 9887126630

कथा स्थल : श्री धाम गोपाली, हरमाड़ा, जयपुर
निवेदक : श्री बनवारी सिंह जी चारण
मो. : 9784843039

आयोजक कर्त्ता : श्री धाम गोपाली एवं सभी रामादल भक्तगण
सम्पर्क सूत्र : 9829212917, 8952065434, 9660722066, 6376989090, 8890075687, 9261777720, 9214364244, 9050379231, 7357810382, 8562056653, 7023456706
मिडिया प्रभारी : साजन फिल्मस YouTube **मो. 8209904785, 7737804785**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए माणक ऑफसेट प्रिन्टर्स, एम.जी.एच. रोड, जोधपुर से मुद्रित व प्लॉट नं. 104, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जयश्री स्कूल के पास, जोधपुर से प्रकाशित। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक–युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई–मेलः yuvrajsinghh@gmail.com

मां बोलीं- आंखों में नींद नहीं, डर सता रहा

पाली/सुमेरपुर , 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । ढाई साल के मासूम को लेकर मां की आंखें बीते चार दिनों से नम है। मासूम को सीने से लगाकर रखने वाली मां कहती है- बेटे ने एक साल पहले ही चलना शुरू किया था, उसे गोदी में लेकर इसी नवरात्रि नाडोल में कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर भी गए थे। हर घंटे भूख लगती तो वह मां- मां पुकारता है। खिलौने चाहिए होते तो भी मुझे ही आवाज देकर बुलाता। बोलना भी कुछ महीनों पहले शुरू किया था। वो क्या चाहता है, उसकी भाषा सिर्फ मैं और पिंटू(मासूम का बदला हुआ नाम) ही समझते हैं। लेकिन चार दिनों से वो कहां है, किस हालत में है, इसको सोचकर ही रूह कांप जाती है। मां कहती है आजकल अखबारों में पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। मैं भगवान से हर मिनट यहीं प्रार्थना करती हूं कि उसके साथ वो सबकुछ नहीं हुआ हो। भगवान से यहीं प्रार्थना कर रही हूं कि वो किसी भी सूरत में घर लौट आए। उसे मैं फिर कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। यह दर्द है पिंटू की मां का। उनके अनुसार- हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। एक मिनट के भीतर मेरा लाडला घर के आगे से कहां गायब हो गया, यह कोई नहीं बता पा रहा। चार दिन हो गए, पुलिस आखिर कर क्या रही है। बेटे की याद में रोटी का निवाला भी गले के नीचे

नहीं उतर रहा। आंखों में नींद नहीं है, बस डर सता रहा है कि मेरा बेटा कहां होगा, उसने खाना खाया या नहीं, मेरे बिना वह कैसे रह रहा होगा। इतना कहते ही मासूम की मां की आंखें भर आई। प्लीज कोई मेरे बेटे को ढूंढ लाओ नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मां बोलीं- बस एक मिनट में सबकुछ हो गया मासूम की तलाश कर रही मां ने बताया- मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे रहे थे। पड़ोस में रहने वाली महिला से कहा कि राशन के गेहूं आए है, साफ कर देते हैं। उस समय लाडला भी साथ था। उसके हाथ में 2 रुपए का सिक्का था। तिरपाल लेने के लिए वह वापस घर के अंदर गई, तब वह घर के बाहर गली में ही खड़ा था। मुश्किल से 1 मिनट के भीतर वापस घर से बाहर तिरपाल लेकर आ गई। लेकिन वो मौके पर नहीं था। सोचा कि दुकान से चीज लेने गया होगा। लेकिन वहां भी वह नजर हीं आया तुरंत पति को कॉल कर घर बुलाया। पूरे मोहल्लेवासी उनकी मदद कर रहे थे। एक-एक गली खंगाली, लेकिन लाडला नहीं मिला। तब जाकर थाने में जाकर उसके गुम होने की रिपोर्ट दी। पिता बोले- कब तक सब्र रखे पिता की आंखें पथरा सी गई है। वह पत्नी को संभालने के साथ पुलिस के साथ हर जगह अपने दिल के टुकड़े की तलाश कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजर रहे है, उनका दिल बैठता जा रहा है। बेटे के साथ किसी तरह की अनहोनी तो नहीं हुई, जैसे सवाल दिमाग में घूमने लगे है। पिता के अनुसार- तीन दिन हो गए अब कितना सब्र रखूं। पुलिस कब ढूंढेगी मेरे बेटे को। यह है पूरा मामला बता दें कि शहर के इंडस्ट्रियल थाना इलाके में ।T। रोड के पास एक कॉलोनी में से ढाई साल का पिंटू(बदला हुआ नाम) मंगलवार की दोपहर 12 बजे घर के आगे से गायब हो गया था। उसकी तलाश के लिए 3 पुलिस थानों से करीब 120 पुलिसकर्मियों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। डॉग स्क्वॉड भी बुलाया गया है, लेकिन वह भी मोहल्ले में कुछ घरों के सामने जाकर लौट आया और फिर एक स्थान पर बैठ गया। इसके कारण 4 दिन बाद भी मासूम को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मामले में सीओ सिटी देरावर सिंह ने कहा- मासूम को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। 120 पुलिसकर्मी उसकी तलाश कर रहे है। मोहल्ले के सभी नाले और घरों में बने हौद को भी चेक किया गया है। पाली-जयपुर और पाली-जोधपुर हाईवे तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। एक संदिग्ध मिला है, उसकी तलाश तेज कर दी है। पांच टीमें और बनाई है, जो पुरानी रंजिश, अपहरण, फिरौती समेत हर एंगल से जांच कर रही है।

आवासीय बस्ती में ज्यूस कॉर्नर खोलने का विरोध

पाली/सुमेरपुर , 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । पाली के सुंदर नगर आवासीय बस्ती में एक मकान में जूस कॉर्नर खोले जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। हंगामे की सूचना पर टीपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को लोगों ने बताया कि यह आवासीय बस्ती है यहां जूस कॉर्नर खोला जा रहा है, जिसकी आड़ में अवैध गतिविधियां होने की आशंका है। जूस कॉर्नर खुलने से क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी होगी। इस पर पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत किया और लोगों को आश्वासन दिया कि आवासीय बस्ती में इस तरह की गतिविधियां संचालित नहीं होने दी जाएगी। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मोहल्लेवासियों ने मौके पर पहुंची टीपी नगर थानाप्रभारी अनिता रानी से कहा कि अगले दो दिन में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि शहर में संचालित हो रहे कई कैफे में युवा सिगरेट, सिगार, हुक्का आदि का चोरी-छीपे नशा करते हैं। जिनमें ज्यादातर कॉलेज के लड़के शामिल है।

उच्चतम न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को जमानत दी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने 1987 में ‘प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी’ (पीएसी) के कर्मियों द्वारा 38 लोगों की कथित हत्या से जुड़े हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चार दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की इन दलीलों पर गौर किया कि उन्हें बरी करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पलटे जाने के बाद से वे लंबे समय से जेल में हैं। तिवारी ने शुक्रवार को समी उल्ला, निरंजन लाल, महेश प्रसाद और जयपाल सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए दलील दी कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से छह साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं को पहले अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है तथा अधीनस्थ अदालत में सुनवाई और अपील प्रक्रिया के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने यह भी दलील दी कि अधीनस्थ अदालत द्वारा सोच-विचारकर पारित किये गए बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलटने का गलत आधार पर निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने दलीलों पर गौर किया और आठ दोषियों की आठ लंबित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था, जब पीएसी की 41वीं बटालियन की ‘सी-कंपनी’ के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से लगभग 50 मुस्लिम पुरुषों को कथित तौर पर घेर लिया था।

सांप्रदायिक दंगों के कारण पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बहाने शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया था, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी तथा केवल पांच लोग ही इस भयावह घटना को बयां करने के लिए बचे। अधीनस्थ अदालत ने 2015 में 16 पीएसी कर्मियों को उनकी पहचान और संलिप्तता को साबित करने वाले साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलट दिया और 16 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के साथ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।

किरोड़ी बोले- मेरी सरकार में मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ

जयपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आज (शुक्रवार) को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा- मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं। किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा- सीआई कविता शर्मा देर रात एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी। मुझसे गलती हो गई कि मैं उन्हें बचाने के लिए मौके पर चला गया। आगे से मैं मौके पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- सीआई कविता शर्मा मंजू शर्मा के घर में जबरन घुसी। उसके माता-पिता ने उन्हें मना भी किया। वह जबरन घुसकर मंजू शर्मा को उठा लाई। इससे उसकी दादी दहशत में आ गई। आज उसकी दादी की मौत हो गई है। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा- भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से पूछ कर नाम का खुलासा करूंगा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा- कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी और नेता बचा रहे हैं। इसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। उन्होंने कहा- मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूछने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सीआई कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी अब तक बचाते आए हैं। वहीं कौन-कौन से नेता इसमें शामिल हैं। मीडिया के सवालों पर भड़के किरोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों पर भी किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। जब किरोड़ी से पूछा गया कि सरकार तो आपकी ही है। इस पर किरोड़ीलाल मीणा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का अधिकारी सो जाए तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने तीन बार कहा कि मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा- 2017 में कविता शर्मा और उनकी बहनों पर एक प्लॉट का फर्जी पट्टा बनाने का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन डीजी ने इस मामले में चार्जशीट पेश नहीं होने दी।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है एचपीवी टीका: नड्डा ने लोकसभा में कहा

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि

‘ह्यूमन पेपिलोमावायरस’ (एचपीवी) टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एचपीवी संक्रमण से सर्विकल या गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर होता है।

नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग की सेवाएं आशा और एएनएम कार्यकर्ता महिलाओं समेत प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही है। नड्डा ने कहा कि आबादी आधारित स्क्रीमेनिंग से जल्द रोग की पहचान और उपचार के माध्यम से बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिलती है।

भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनएचएम के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला नहीं किया गया: सरकार

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न पुराने पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया है? इसके जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, ‘‘जी नहीं, बहरहाल पुलों के अनुपयोगी परित्यक्त हिस्सों जैसे स्टील गर्डर आदि को स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है ताकि परित्यक्त सामग्री का मूल्य प्राप्त किया जा सके।’’ मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में परित्यक्त रेलवे पुलों को राज्य सरकार के अनुरोध पर पर्यटन आदि के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है।

मुंद्रा बंदरगाह से करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी पर कोई कार्रवाई नहीं: प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से अब तक 21,000 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी के बावजूद केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि बंदरगाह मालिक एक बड़े उद्योगपति हैं।

शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने बड़ी संख्या में देश के युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने पर चिंता जताते हुए कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन देश के शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

उन्होंने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश की आबादी में 10 से 75 वर्ष आयु तक के करीब 20 प्रतिशत लोग किसी न किसी नशे के आदी है जबकि एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक अवैध ड्रग कारोबार का आकार लगभग 30,000 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर जून 2023 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों की मौत के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए तिवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इनमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी से उपजी समस्याओं के चलते सात से आठ लोग औसतन रोज आत्महत्या करते हैं। तिवारी ने कहा कि कई प्रमुख भारतीय शहर सिंथेटिक ड्रग से भरे पड़े हैं तथा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की सीमाओं से ड्रग्स की तस्करी के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘नशीली दवाओं की तस्करी से भारत की सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। जब-जब ड्रग्स की आपूर्ति की बात होती है तब-तब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर आता है। यह बंदरगाह नशे की आपूर्ति को लेकर बदनाम हो चुका है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कुछ महीने ही गुजरते हैं कि मुंद्रा पोर्ट पर नशे की खेप बरामद होने की खबर आ जाती है। यह बड़ा बंदरगाह हैं, जहां 21,000 करोड रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। आए दिन करोड़ की ड्रग्स वहां से जब्त होती है। गुजरात ड्रग्स का केंद्र बन गया है और सारे ड्रग्स मुद्रा पोर्ट से निकल रही हैं लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है।’’ कांग्रेस सदस्य ने आरोप लगाया कि मुद्रा पोर्ट के मालिक एक प्रमुख उद्योगपति हैं और इसलिए केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कृषि प्रधान राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़कर पंजाब में ‘कृत्रिम संकट’ पैदा कर रहा है जहां किसानों, आढ़तियों और चावल मिल मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चावल मिलों के मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए, पाठक ने पूछा कि क्या फसल के मौसम के अनुसार खरीद और भंडारण की प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है और यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया।

संसद में सोरोस मुद्दे और नोट गड्डी मिलने पर हंगामा, दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। संसद में शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध होने और उन पर देश की सरकार और संसद को अस्थिर करने के आरोपों और राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के समीप 500 रूपये के नोट की गड्डी मिलने को लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा।

हंगामे के कारण जहां लोकसभा को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजकर दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले का कामकाज लगभग सामान्य ढंग से चलने के बाद गैर सरकारी कामकाज नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बृहस्पतिवार को उच्च सदन में नोटों की गड्डी मिलने के मामले में कांग्रेस से जवाब मांगते हुए हंगामा कर रहे थे और इसके कारण बैठक को दोपहर दो बजकर चार मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शून्यकाल में सदन को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी ने राज्यसभा में उनकी सीट से ‘‘500 रुपये के नोटों की गड्डी मिलने’’ की बात पर हैरानी जताई और कहा कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होना हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सदन में जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का एक नोट होता है और अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा कल कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी पर लगाये गये आरोपों से जुड़े विषय को उठाने का प्रयास किया, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की। हंगामा थमते न देख उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने निशिकांत दुबे को बोलने की अनुमति दी। भाजपा सांसद दुबे ने शून्यकाल में कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दस सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस नेता ने सोरोस से पैसा लिया? दुबे के बयानों पर कांग्रेस सदस्य आपत्ति जताने लगे और आसन के समीप आ गए। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने कार्यवाही करीब 12.10 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED
(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)

पंजीकृत कार्यालय: पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के टूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 साथ में पठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के टूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की है:

(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;

(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और

(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली-मंडोला ट्रांसमिशन लाइन

2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैं:

(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपलिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)

3. **ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई**

क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट-किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट-किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट-किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट-किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट-किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट-किमी

4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आबंटित लागत शामिल है): रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरण: विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि: 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथि: 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागत: रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरण:

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	ट्रूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी(यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेल: pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती हैं। ।

स्थान: नोएडा — श्री अविनाश चंद्र धवन
दिनांक: 07.12.2024 — मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.

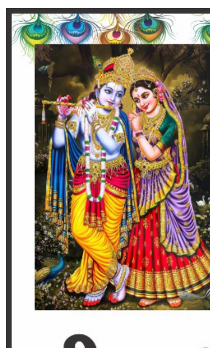

गुरूदेव श्री श्री 1008 रामशोभा दास जी महाराज मथुरा

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः । सर्वे सन्तु निरामयाः॥
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु । मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ॥

श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानगंगा (संगीतमय)
एवं एक कुण्डात्मक यज्ञ

शनिवार, 7 दिसम्बर से शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024 तक
प्रतिदिन दोपहर 1:00 बजे से सायं 4:15 बजे तक

कथा समापन पूर्णाहुति हवन व प्रसादी भंडारा, 13 दिसम्बर 2024,
विशाल कलश यात्रा
शनिवार, 7 दिसम्बर 2024 को
प्रातः 11:15 बजे दुगाय माता मंदिर हरमाड़ा से गाजे बाजे के साथ श्री धाम गोपाली पहुँचेगी।

कथा वाचक :
महाराज राजेन्द्र बृजवासी
नदबई, गोवर्धन धाम, मो. 9887126630

कथा स्थल : श्री धाम गोपाली, हरमाड़ा, जयपुर
निवेदक : श्री बनवारी सिंह जी चारण
मो. : 9784843039

आयोजक कर्त्ता : श्री धाम गोपाली एवं सभी रामादल भक्तगण
सम्पर्क सूत्र : 9829212917, 8952065434, 9660722066, 6376989090, 8890075687, 9261777720, 9214364244, 9050379231, 7357810382, 8562056653, 7023456706
मिडिया प्रभारी : साजन फिल्मस YouTube **मो. 8209904785, 7737804785**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, प्लॉट नं. 28,विवेकानन्द कॉलोनी पूर्व की तरफ, सिरोही बाई-पास सिरोही से मुद्रित व प्रवीण कुमार डुलानी का मकान, आर्दश कॉलोनी चर्च के पीछे, सुमेरपुर जिला-पाली से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णत: व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com

शहीद के सामने सिर झुकाएंगे तो 95% नंबर आएंगे

सीकर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने कहा- अगर स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चे शहीद की प्रतिमा के सामने सिर झुकाएंगे तो परीक्षा में 95 परसेंट नंबर आएंगे। उन्होंने कहा- ये शहीद ही तो हमारे देवता हैं। इनसे बड़ा देवता कोई नहीं। हम इनका सम्मान करेंगे तो हमारा भला होगा। आजकल बच्चे एग्जाम में खूब नंबर ला रहे हैं। खूब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन संस्कार भूलते जा रहे हैं। बाजौर ने अग्निवीर स्कीम पर बोलते हुए कहा- इसमें किसी तरह की बुराई नहीं है। यह तो देश के एक्स्ट्रा सैनिक हैं। इस पर कांग्रेस और कामरेड प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अग्निवीर युवाओं के लिए रोजगार की अच्छी स्कीम है। जो युवा रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं उन्हें इससे नौकरी मिलेगी। शहीदों के 8 आश्रितों को दिए नियुक्ति पत्र दरअसल, सीकर में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान बाजौर ने शहीदों के 8 आश्रितों को अनुकंपा नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। एक वीरांगना को 45 लाख और एक दिव्यांग को 9 हजार रुपए का चेक दिया। बाजौर ने कहा- शहीदों और सैनिकों के परिवार के हित में सैनिक कल्याण बोर्ड यह काम करता है। सैनिकों के परिवारों की मदद करना, उनकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यह धर्म का काम है। सैनिक और शहीद के कारण ही हम सुरक्षित हैं। हम यहां आजादी की सांस ले रहे हैं। चाहे शहीद हो, शहीद का परिवार हो या फिर गौरव सेनानी हो, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है। अग्निवीर तो एक्स्ट्रा है, यह रोजगार की बेहतर स्कीम प्रेम सिंह बाजौर ने अग्निवीर स्कीम को युवाओं के लिए अच्छी स्कीम बताते हुए कहा- इसे लेकर कांग्रेस और कामरेडों ने प्रोपेगेंडा फैलाया है। सेना में फुल टाइम भर्ती पहले भी होती थी, अब भी होती है। अग्निवीर तो एक्स्ट्रा है। जो युवा स्कूल-कॉलेज से निकलते ही रोजगार की तलाश में होते हैं, वे सैनिक बनकर अनुभव ले सकते हैं। उन्होंने कहा- इजराइल को ही देख लीजिए। वह देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। वहां 18 साल का होते ही नौजवान लड़के-लड़कियां सेना में चले जाते हैं। हम उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन एक स्कीम के साथ कई तरह के विचार जुड़े होते हैं।

सीकर में ATM बदलकर अकाउंट से 2.26 लाख रुपए निकाले

सीकर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने एटीएम कार्ड बदलकर 2 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए। लक्ष्मणगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के निवासी रामलाल ने लक्ष्मणगढ़ थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 20 नवंबर को दोपहर 2 बजे के करीब वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लक्ष्मणगढ़ के निकट बड़ी चौपड़ के पास स्थित एटीएम बूथ पर पैसे निकलवाने के लिए गए थे। इसी दौरान वहां पीछे खड़े किसी शख्स ने पासवर्ड देखकर उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। आरोपी द्वारा 4 दिसंबर तक 22 बार एटीएम का यूज करके 2 लाख 26 हजार 210 रुपए निकाल लिए गए। इसका कोई भी मैसेज रामलाल के पास नहीं आया। 4 दिसंबर को जब उन्होंने पैसे निकालने के लिए अपना एटीएम कार्ड संभाला तो उन्हें अपना एटीएम कार्ड बदला हुआ मिला। फिलहाल अब लक्ष्मणगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बकरियां चुराने के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा

सीकर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । सीकर की जीणमाता थाना पुलिस को बकरी चोरी के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इलाके में दिनदहाड़े बकरियां चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

थानाधिकारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि 3 दिसंबर को कैलाश गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शाम करीब 4 बजे उसका छोटा भाई धर्मपाल मांडोली के पास भेड़-बकरियां चल रहा था। इसी दौरान वहां पर एक सफेद रंग की कार हर्षनाथ की तरफ से आई। इस गाड़ी में करीब दो से तीन लोग सवार थे। जो घास खा रहे बकरे को उठाकर गाड़ी में डालकर जीणमाता की तरफ भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इलाके में इसके अलावा अन्य भी भेड़-बकरी चोरी होने की कई वारदात हुई। जिनमें 1 या 2 बकरी चोरी होना सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले में गाड़ी और आरोपियों की तलाश करना शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में राहुल वर्मा (25) पुत्र गोपालराम निवासी नोसाल और घनश्याम (31) निवासी नोसाल को दांतारामगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जिनके पास से वारदात के दौरान काम में ली गई गाड़ी भी बरामद भी की गई है।

उच्चतम न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को जमानत दी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने 1987 में 'प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी' (पीएसी) के कर्मियों द्वारा 38 लोगों की कथित हत्या से जुड़े हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चार दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की इन दलीलों पर गौर किया कि उन्हें बरी करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पलटे जाने के बाद से वे लंबे समय से जेल में हैं। तिवारी ने शुक्रवार को समी उल्ला, निरंजन लाल, महेश प्रसाद और जयपाल सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए दलील दी कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से छह साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं को पहले अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है तथा अधीनस्थ अदालत में सुनवाई और अपील प्रक्रिया के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने यह भी दलील दी कि अधीनस्थ अदालत द्वारा सोच-विचारकर पारित किये गए बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलटने का गलत आधार पर निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने दलीलों पर गौर किया और आठ दोषियों की आठ लंबित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। हाशिमपुरा नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था, जब पीएसी की 41वीं बटालियन की 'सी-कंपनी' के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके से लगभग 50 मुस्लिम पुरुषों को कथित तौर पर घेर लिया था।

सांप्रदायिक दंगों के कारण पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बहाने शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया था, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी तथा केवल पांच लोग ही इस भयावह घटना को बयां करने के लिए बचे। अधीनस्थ अदालत ने 2015 में 16 पीएसी कर्मियों को उनकी पहचान और संलिप्तता को साबित करने वाले साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलट दिया और 16 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 364 (हत्या के लिए अपहरण) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के साथ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED
(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)
पंजीकृत कार्यालयः पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के टूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 साथ में पठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के टूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की हैः
(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;
(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और
(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली-मंडोला ट्रांसमिशन लाइन
2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैं:
(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपलिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)
3. **ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई**
क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट-किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट-किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट-किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट-किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट-किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट-किमी
4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आबंटित लागत शामिल है): रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरणः विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथिः 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथिः 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागतः रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरणः

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	ट्रूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी(यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेलः pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती हैं। ।

स्थानः नोएडा — **श्री अविनाश चंद्र धवन**
दिनांकः 07.12.2024 — **मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.**

किरोड़ी बोले-मेरी सरकार में मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ

जयपुर, 6 दिसम्बर (वेबवार्ता) । राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आज (शुक्रवार) को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा- मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं। किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा- सीआई कविता शर्मा देर रात एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी। मुझसे गलती हो गई कि मैं उन्हें बचाने के लिए मौके पर चला गया। आगे से मैं मौके पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- सीआई कविता शर्मा मंजू शर्मा के घर में जबरन घुसी। उसके माता-पिता ने उन्हें मना भी किया। वह जबरन घुसकर मंजू शर्मा को उठा लाई। इससे उसकी दादी दहशत में आ गई। आज उसकी दादी की मौत हो गई है। मंजू शर्मा की दादी की मौत के लिए जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा- भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से पूछ कर नाम का खुलासा करूंगा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा- कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी और नेता बचा रहे हैं। इसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। उन्होंने कहा- मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूछने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सीआई कविता शर्मा को कौन-कौन से अधिकारी अब तक बचाते आए हैं। वहीं कौन-कौन से नेता इसमें शामिल हैं। मीडिया के सवालों पर भड़के किरोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों पर भी किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। जब किरोड़ी से पूछा गया कि सरकार तो आपकी ही है। इस पर किरोड़ीलाल मीणा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का अधिकारी सो जाए तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने तीन बार कहा कि मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं, मैं क्या कहने के लिए आया हूं। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा- 2017 में कविता शर्मा और उनकी बहनों पर एक प्लॉट का फर्जी पट्टा बनाने का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन डीजी ने इस मामले में चार्जशीट पेश नहीं होने दी।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है एचपीवी टीकाः नड्डा ने लोकसभा में कहा

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 'ह्यूमन पेपिलोमावायरस' (एचपीवी) टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एचपीवी संक्रमण से सर्विकल या गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर होता है।

नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के हिस्से के रूप में गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग की सेवाएं आशा और एएनम कार्यकर्ता महिलाओं समेत प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही है। नड्डा ने कहा कि आबादी आधारित स्क्रीनिंग से जल्द रोग की पहचान और उपचार के माध्यम से बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिलती है।

भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनएचएम के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।

पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला नहीं किया गयाः सरकार

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न पुराने पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया है? इसके जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, ''जी नहीं, बहरहाल पुलों के अनुपयोगी परित्यक्त हिस्सों जैसे स्टील गर्डर आदि को स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है ताकि परित्यक्त सामग्री का मूल्य प्राप्त किया जा सके।'' मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में परित्यक्त रेलवे पुलों को राज्य सरकार के अनुरोध पर पर्यटन आदि के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है।

मुंद्रा बंदरगाह से करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी पर कोई कार्रवाई नहीं: प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से अब तक 21,000 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी के बावजूद केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि बंदरगाह मालिक एक बड़े उद्योगपति हैं।

शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तिवारी ने बड़ी संख्या में देश के युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने पर चिंता जताते हुए कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन देश के शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

उन्होंने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश की आबादी में 10 से 75 वर्ष आयु तक के करीब 20 प्रतिशत लोग किसी न किसी नशे के आदी है जबकि एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक अवैध ड्रग कारोबार का आकार लगभग 30,000 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर जून 2023 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों की मौत के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए तिवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इनमें 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी से उपजी समस्याओं के चलते सात से आठ लोग औसतन रोज आत्महत्या करते हैं। तिवारी ने कहा कि कई प्रमुख भारतीय शहर सिंथेटिक ड्रग से भरे पड़े हैं तथा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की सीमाओं से ड्रग्स की तस्करी के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं।

उन्होंने कहा, ''नशीली दवाओं की तस्करी से भारत की सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। जब-जब ड्रग्स की आपूर्ति की बात होती है तब-तब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर आता है। यह बंदरगाह नशे की आपूर्ति को लेकर बदनाम हो चुका है।'' उन्होंने कहा, ''कुछ महीने ही गुजरते हैं कि मुंद्रा पोर्ट पर नशे की खेप बरामद होने की खबर आ जाती है। यह बड़ा बंदरगाह हैं, जहां 21,000 करोड रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। आए दिन करोड़ की ड्रग्स वहां से जब्त होती है। गुजरात ड्रग्स का केंद्र बन गया है और सारे ड्रग्स मुद्रा पोर्ट से निकल रही हैं लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है।'' कांग्रेस सदस्य ने आरोप लगाया कि मुद्रा पोर्ट के मालिक एक प्रमुख उद्योगपति हैं और इसलिए केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कृषि प्रधान राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़कर पंजाब में 'कृत्रिम संकट' पैदा कर रहा है जहां किसानों, आढ़तियों और चावल मिल मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चावल मिलों के मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए, पाठक ने पूछा कि क्या फसल के मौसम के अनुसार खरीद और भंडारण की प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है और यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया।

संसद में सोरोस मुद्दे और नोट गड्डी मिलने पर हंगामा, दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। संसद में शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध होने और उन पर देश की सरकार और संसद को अस्थिर करने के आरोपों और राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के समीप 500 रूपये के नोट की गड्डी मिलने को लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा।

हंगामे के कारण जहां लोकसभा को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर बारह बजकर दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले का कामकाज लगभग सामान्य ढंग से चलने के बाद गैर सरकारी कामकाज नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बृहस्पतिवार को उच्च सदन में नोटों की गड्डी मिलने के मामले में कांग्रेस से जवाब मांगते हुए हंगामा कर रहे थे और इसके कारण बैठक को दोपहर दो बजकर चार मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शून्यकाल में सदन को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी ने राज्यसभा में उनकी सीट से ''500 रुपये के नोटों की गड्डी मिलने'' की बात पर हैरानी जताई और कहा कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होना हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सदन में जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का एक नोट होता है और अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा कल कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी पर लगाये गये आरोपों से जुड़े विषय को उठाने का प्रयास किया, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की। हंगामा थमते न देख उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने निशिकांत दुबे को बोलने की अनुमति दी। भाजपा सांसद दुबे ने शून्यकाल में कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दस सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस नेता ने सोरोस से पैसा लिया? दुबे के बयानों पर कांग्रेस सदस्य आपत्ति जताने लगे और आसन के समीप आ गए। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने कार्यवाही करीब 12.10 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

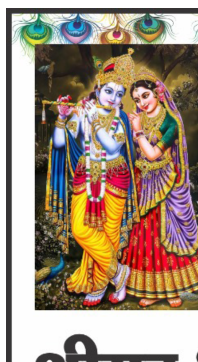

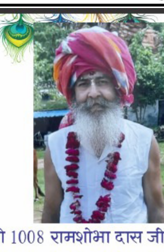
गुरूदेव श्री श्री 1008 रामशोभा दास जी महाराज मथुरा
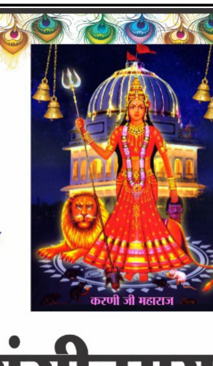
करणी जी महाराज

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः । सर्वे सन्तु निरामयाः॥
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु । मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ॥

श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानगंगा (संगीतमय)
एवं एक कुण्डात्मक यज्ञ

शनिवार, 7 दिसम्बर से शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024 तक
प्रतिदिन दोपहर 1:00 बजे से सायं 4:15 बजे तक

कथा समापन पूर्णाहुति हवन व प्रसादी भंडारा, 13 दिसम्बर 2024,
विशाल कलश यात्रा
शनिवार, 7 दिसम्बर 2024 को
प्रातः 11:15 बजे दुगाय माता मंदिर हरमाड़ा से गाजे बाजे के साथ श्री धाम गोपाली पहुँचेगी।

कथा वाचक :
महाराज राजेन्द्र बृजवासी
नदबई, गोवर्धन धाम, मो. 9887126630

कथा स्थल : श्री धाम गोपाली, हरमाड़ा, जयपुर
निवेदक : श्री बनवारी सिंह जी चारण
मो. : 9784843039

आयोजक कर्त्ता : श्री धाम गोपाली एवं सभी रामादल भक्तगण
सम्पर्क सूत्र : 9829212917, 8952065434, 9660722066, 6376989090, 8890075687, 9261777720, 9214364244, 9050379231, 7357810382, 8562056653, 7023456706
मिडिया प्रभारी : साजन फिल्मस YouTube **मो. 8209904785, 7737804785**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नीदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व कार्यालय नरेश कुमार का मकान, नानी गेट के बाहर, सालासर बस स्टैण्ड, सीकर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बरः 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com

जयपुर। शुक्रवार को हरमाड़ा/जोड़ला पावर हाउस में सहायक अभियंता सुधार सम्म के द्वारा 8mva पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया जिससे आस पास के एरिया 14no बढ़ाराणा,लोहमंडी,सीकर रोड के आस पास 40 कॉलोनी को विद्युत सप्लाई से राहत मिली। गर्मी के दिनों में लोड के कारण सप्लाई डिस्टर्ब रहती थी। इस काम के लिए अधिशासी अभियंता सीडी vii को बहुत बहुत धन्यवाद।

विशाल रक्तदान शिविर में 135 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकड़ी, 6 दिसम्बर (दीपांकुर चौहान)। केकड़ी भारत विकास परिषद् शाखा केकड़ी, एच डी एफ सी बैंक एवं युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन केकड़ी के अजमेरी गेट स्थित युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी प्रांगण में किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर में कुल 135 यूनिट रक्त का एकत्रित हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रतिनिधि के रूप में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, वशिष्ट अतिथि मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी के निदेशक डॉ अविनाश दुबे तथा श्री साई प्राइवेट आईं टी आईं, केकड़ी के डायरेक्टर अरुण कुमार सिंघल रहे मौजूद रहे। रक्तदान शिविर जहां कुल 135 यूनिट रक्तदान हुआ जिनमें 45 रक्तदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया तथा 10 दुर्लभ ब्लड ग्रुप के रक्तदाता थे, जिनको समय-आवश्यकता पर पंजीयत रखा गया। इसके अलावा कुल 35 रक्तदाओं को रक्तदान करने में अयोग्य होने कारण इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया। कार्यक्रम के सहयोगी एच डी एफ सी बैंक के ब्रांच ऑपरेशन हेड रवि जैन, ब्रांच मैनेजर सौरभ झंवर, ब्रांच मैनेजर विट्ठल छिपा, ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों, परिषद सदस्यों सहित परिषद की मातृशक्ति महिला मंडल ने अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया एवं होम्योपैथिक कॉलेज के समस्त स्टॉफ ने रक्तदान शिविर सफल बनाने में भरपूर योगदान दिया। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

विश्व के प्रथम विश्व रत्न अलंकरण ने किया भुसावर की पावन धरा को नमन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

भुसावर, 6 दिसम्बर (नरेंद्र पांडे)। विश्व के प्रथम विश्व रत्न अलंकरण प्राप्त श्री महावीर प्रसाद टोरडी विशिष्ट सलाहकार महामहिम उप राष्ट्रपति नेपाल का अपने विश्व रत्न अलंकरण को लेकर कस्बा भुसावर की पावन धरा पर आगमन पर स्थानीय आदर्श विध्या मन्दिर रघुनाथ बाग विद्यापीठ रोड भुसावर में भव्य स्वागत किया गया श्री टोरडी का भुसावर पहुँचने पर भारतीय सांस्कृतिक परम्परा अनुसार ढोल नगाडों से वैदिक मंत्रोचार के साथ पं. महेश चंद्र नावरिया ने तिलक लगाकर पद प्रक्षालन कर स्वागत किया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री उदय भान सिंह डीन कृषि महाविद्यालय भुसावर रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रकाश चंद्र जाटव समाज सेवी ने की कार्यक्रम के संयोजक स्व. शिवदत्त पांडेय थानेदार मेमोरियल भुसावर के ईजी.नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि विश्व रत्न अलंकरण मिलने के उपरांत श्री महावीर प्रसाद टोरडी इस अलंकरण अभिनन्दन पत्र को भारत देश को समर्पित करने से पूर्व भारत की माटी तिलक कार्यक्रम के तहत कस्बा भुसावर की पावन धरा से तिलक लगाकर अलंकरण को भारत को समर्पित कार्यक्रम के अन्तर्गत पधारे हैं इस प्रकार पूरे भारत में भ्रमण कर देश की माटी से तिलक लगाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री टोरडी अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का संयोजन गत 44 वर्षों से अनवरत भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धान्त, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पॉवर के साथ स्थाई सदस्यता प्राप्त हो अयोध्या में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थापित हो ग्लोबल विलेज आदि सिद्धान्तो पर कार्य कर रहे हैं इनके इन सिद्धान्तो के समर्थन में 22 राष्ट्रों ने अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किये हैं तथा इस वर्ष इनकी कार्य शैली से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समर्थन में अपना ध्वज प्रदान किया है।

भाजपा नगर मंडल में बूथ अध्यक्षों और कार्यकारिणी का किया गठन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूँ, 6 दिसम्बर (का.स.)। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत चौमूँ नगर मंडल प्रभारी रतन कँवर तथा सह प्रभारी दामोदर शर्मा के निर्देशन में चौमूँ नगर मंडल के अध्यक्ष गजानंद कुमावत ने बूथ संख्या 176 का अध्यक्ष संदीप कुमावत, 177 का संदीप भात्रा, 178 का रफीक नागोरी, 179 का राहुल शर्मा, 180 का जे पी जाट, 181 का राजेंद्र प्रजापत, 183 का बाबूलाल राई, 185 का पवन कुमावत, 186 का राजेंद्र कुलदीप, 189 का मदनलाल गोरा, 190 रतनलाल रेलावन, 192 जितेंद्र सैनी, 193 संदीप शर्मा, 194 नरेंद्र कुमावत, 195 गुलाबचंद लाम्बा, 196 सुरेंद्र कुमावत, 197 चेतन सैनी, 199 मोहन यादव, 200 राजकुमार गरेड, 201 सीताराम यादव, 205 बजरंग लाल कुमावत, 206 राजेश कुमावत, 207 मुकेश सैनी, 208 गुलाब भोमाका, 209 बनवारी लाल शर्मा, 210 विकास अग्रवाल, 212 राजेश चोपड़ा, 217 महेंद्र यादव को बूथ अध्यक्ष बनाकर उनकी कार्यकारिणी का गठन किया।

ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं के नाम

झुंझुनूं। चुड़ैला स्थित श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन के पुरुष व महिला टूर्नामेंट 2024-25 का खिताब श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी के नाम हुआ। श्रीमती उमा टीबड़ेवाला एवं चेयरपर्सन डॉ. विनोद टीबडेवाला के आतिथ्य में फाइनल मैच खेले गए। आयोजन सचिव डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं ने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई को 3-0 से हराया। इसी प्रकार महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा को 2-0 से हराया। दोनों ही वर्ग के फाइनल जितने वाली जेजेटी यूनिवर्सिटी राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। इससे पहले किसी भी वर्ग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोई भी यूनिवर्सिटी ये कारनामा नहीं किया। टूर्नामेंट में पुरुष टीम कोच हरेंद्र मलिक और महिला टीम कोच मीनू राणा टीम के साथ मौजूद रहे। प्रेसिडेंट डॉ. दवेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि टूर्नामेंट में 200 बैडमिंटन खिलाड़ीयों ने भाग लिया। विजेता टीमों को श्रीमती उमा टीबड़ेवाला ने ट्राफियां प्रदान की। जेजेटी के चेयरपर्सन डॉ. विनोद टिबड़ेवाला ने विजेता टीमों को 25-25 हजार रुपए नगद पुरस्कार सहित महिला एवं पुरुष टीम के कोच को नगद पुरस्कार की घोषणा की। टूर्नामेंट में टेक्निकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सूर्य कुमार यादव और डॉ. मंजू अरोड़ा की भूमिका सराहनीय रही। इस अवसर पर निदेशक संपदा इंजी बालकृष्ण टिबड़ेवाला, डॉ. मधु गुप्ता, डॉ. रामदर्शन फोगाट, डॉ. अंजू सिंह, डॉ. अमन गुप्ता, डॉ. मनोज गोयल, पीआरओ डॉ. रामनिवास सोनी, डॉ. इकराम कुरैशी, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. नाजिया हुसैन, डॉ. सोनू सारण, डॉ. नीतू सिंह, डॉ. सुशीला दुबे, कपिल जानू, भानु पांड्या, तबरेज खान आदि मौजूद रहे।

कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर (प्रभात अभिनन्दन न्यूज)। शुक्रवार को B ,ब्लॉक, दक्षिणपुरी ,अम्बेडकर नगर विधानसभा, मैं बिजली बहन जी और अशोक गुप्ता बाबा जी के साथ कंबल वितरण करते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता दीपक तंवर वाल्मिकी जी।

बलाई विकास समिति ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस, समिति के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर नरेश को दी श्रद्धांजलि

चौमूं, 6 दिसम्बर (का.स.)। शहर के मोरीजा रोड़, बी-2, गुलाब विहार कॉलोनी में स्थित बलाई समाज सभा-भवन में शुक्रवार को बलाई विकास समिति जयपुर (मुख्यालय-चौमूं) के अध्यक्ष एडवोकेट बद्रीनारायण परिहार की अध्यक्षता में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी समाजबंधुओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात समिति के प्रथम अध्यक्ष रहे मुरलीधर नरेश हरसोलिया के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। समिति के कोषाध्यक्ष घनश्याम कान्देल ने डॉ. व्यक्त भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष परिहार ने बताया कि मुरलीधर नरेश हरसोलिया ने शिक्षा जगत में काफी योगदान दिया है। उन्होंने समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति हमेशा जागृत किया एवं समाज के प्रथम अध्यक्ष के रूप में समाज का नेतृत्व करके नई दिशा देने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र घसिया, पूर्व सरपंच राजेश वर्मा, एडवोकेट राधेश्याम बुनकर, सेवानिवृत बैंक प्रबंधक छतरपाल बन्दुलिया, कालूराम सामरिया, हेमराज गोठवाल, राजेन्द्र प्रसाद काला, कैलाश लाखीवाल आदि मौजूद थे।

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस पर दीप प्रज्वलित करके बाबा साहेब को नमन किया

केकड़ी, 6 दिसम्बर (दीपांकुर चौहान)। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया डॉ भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भीम आर्मी केकडी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर को फूल माला चढ़ाकर और दिप प्रज्वलित करके बाबा साहेब को नमन किया और भीम आर्मी जिलाध्यक्ष देवराज बैरवा ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि बाबा साहेब ने हम सब को एक जुड़ रहने का संदेश दिया है और कहा है कि हम आदि से अंत तक भारतीय है इसी के साथ कार्यकर्ताओ ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाये इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवराज बैरवा रामसहाय बैरवा राजू बिलाड़ा सुरेश बिलिया शंकर बैरवा धनराज बैरवा जितेंद्र बोयत रामदयाल, धर्मराज, मुकेश, परमेश्वर वर्मा ,हनुमान उमेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

76 किलो डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार, सप्लायर नेमीचंद गुर्जर सलाखों के पीछे

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकड़ी, 6 दिसम्बर (दीपांकुर चौहान)। पुलिस थाना सराना ने अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना भिनाय की टीम ने नागोला-भिनाय रोड पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार आरजे 06-सीएफ-8269 को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर कार चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन जल्द ही निर्माणाधीन सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जांच करने पर कार से 76.300 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में वाहन चालक रामलाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, मादक पदार्थ का सप्लायर नेमीचंद गुर्जर को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी सहायता और सूचनाओं के आधार पर नेमीचंद को गणेशपुरा, जिला शाहपुरा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अभी गहन पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आरोपी का विवरण, नामः नेमीचंद गुर्जर पिता का नामः रामलाल गुर्जर, उम्रः 42 वर्ष, निवासीः गणेशपुरा, थाना फुलियाकलां, जिला शाहपुरा पुलिस अधीक्षक केकड़ी के निर्देशानुसार जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह और वृताधिकारी हर्षित शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी विजय मीणा और उनकी टीम के सदस्यों शिवप्रकाश, सुनील कुमार, संजय और प्रदीप कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो 'नेट ज़ीरो एलायंस' में शामिल

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

मुंबई, 6 दिसम्बर (वेब वार्ता)। अक्षय ऊर्जा के वैश्विक बाजार का आकार 2022 में 700 अरब डॉलर था, जो 2035 तक बढ़कर 2,000 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। भारत की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी में 2030 तक जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। भारत में सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नॉन-फॉसिल फ्यूल वाले ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली का उत्पादन हो। एजीईएल भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो 'नेट ज़ीरो एलायंस' में शामिल हुई है। सीओपी-28 में स्थापित, यह एलायंस प्रमुख ग्लोबल यूटिलिटी और पावर कंपनियों को एकजुट करता है, जो एक स्थायी ऊर्जा भविष्य हासिल करने के लिए एक रणनीतिक नजरिया सुनिश्चित करता है। इस प्रोजेक्ट से भारत, सालाना 5 लाख 80 हजार टन कार्बन-

डाइऑक्साइड एमिशन से बचने में सक्षम होगा। बड़े पैमाने पर विंड , सोलर, हाइब्रिड और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को वितरित करने की क्षमताओं के साथ अदाणी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर को उनकी उर्जा जरूरतों को पूरा करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कस्टमाइज्ड रिन्यूबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की अच्छी स्थिति में है। अदाणी ग्रीन का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 12 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर उत्पादन राजस्थान और गुजरात में होता है। इसके अलावा, खावड़ा एक हॉट-स्पॉट बन चुका है, जहां एक विशाल 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का निर्माण कर रहा है। यह 538 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पेरिस शहर से लगभग 5 गुना बड़ा है। ये प्रोजेक्ट अल्ट्रा-लार्ज-स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के विकास के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित करेगा। वित्तीय वर्ष 2024 में काम की शुरुआत के 12 महीनों के भीतर, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने 2 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को चालू कर दिया। पिछले 6 महीनों में 250 मेगावाट की विंड कैपेसिटी को चालू किया और मानसून के बावजूद जमीन पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत की 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराने की कोशिशों में विंड एनर्जी का अहम योगदान है। दिन में सोलर पावर और रात में विंड एनर्जी का उपयोग कर इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा विंड एनर्जी ग्रिड बैलेंसिंग में भी योगदान देती है। खावड़ा में लगी 5.2 मेगावॉट की विंड टर्बाइन बनाने में जर्मन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और यह अदाणी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड की मुंद्रा पोर्ट की फैक्टरी में बनाई गई है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑनशोर विंड टरबाइन में शुमार है। ये टरबाइन खावड़ा में उपलब्ध लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड की हाई विंड की स्पीड का पूरा उपयोग करते हैं और बिजली की लागत को कम करते हैं। खावड़ा में पूरी तरह से रोबोटिक सफाई तकनीक भी इस्तेमाल की गई है, जिससे मॉड्यूल की सफाई के लिए पानी का उपयोग लगभग खत्म हो जाता है।

सोनी सब के वागले की दुनिया में गुनगुन द्वारा यह दर्शाए जाने पर कि शेयर बाजार में कोई भी सफल हो सकता है, जिससे हर्षद को होता है नई चेतना का अनुभव

मुंबई, 6 दिसम्बर (वेब वार्ता)। सोनी सब के वागले की दुनिया - नई पीढ़ी नए किस्से में मध्यम वर्गीय वागले परिवार के रोज़मर्रा के संघर्ष और जीत को दिखाया जा रहा है। हाल के एपिसोड में हर्षद (अमित सोनी अपनी बेटी गुनगुन (नंदिनी मौर्य को शेयर बाज़ार में दिलचस्पी दिखाने पर उसे नकार देता है और उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए कहता है। इससे गुनगुन परेशान हो जाती है। वह भी ऐसे मौके पर जब हर्षद की शेयर टिप्स फेल हो जाती हैं, जबकि यामिनी (मानसी जोशी और डब्बू (दीपक पारीक एक रहस्यमय स्रोत द्वारा भेजी गई गुमनाम टिप्स का पालन करके मुनाफ़ा कमाते हैं।

आगामी एपिसोड में हर्षद निराश हो जाता है जब हर कोई उसकी सलाह के बजाय गुमनाम टिप्स का पालन करता है। अपने सुझावों पर भरोसा करते हुए वह घोषणा करता है कि अगर अज्ञात टिप्स्टर सही साबित होता है, तो वह ज्योति की इच्छा के अनुसार काम करेगा। जब हर्षद को अपने निवेश पर नुकसान होता है और वह चुनौती हार जाता है, तो वह यह जानकर हैरान रह जाता है कि गुमनाम टिप्स्टर कोई और नहीं बल्कि गुनगुन है। यह महसूस करते हुए कि उसे कम आंकना कितना गलत था, हर्षद उसकी प्रतिभा को स्वीकार करता है और अपनी कंपनी में उसकी इंटर्नशिप की घोषणा करता है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे महिलाएं रूढ़िवादिता को चुनौती दे रही हैं और अपरंपरागत क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं, यह दर्शाता है कि प्रतिभा और ज्ञान किसी की बपौती नहीं है!

राजेश वागले की भूमिका निभाने वाले सुमित राघवन ने कहा, गुनगुन की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि प्रतिभा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जिसमें लिंग भी शामिल है। हर्षद का यह अहसास कुछ ऐसा है जिससे कई माता-पिता और परिवार लाभान्वित हो सकते हैं - खासकर यह समझना कि कोई भी महिला या पुरुष किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि पारंपरिक रूप से अपरंपरागत माने जाने वाले क्षेत्र में भी। यह एक सशक्त और प्रगतिशील कहानी है जो मुझे आशा है कि कई लोगों को प्रेरित करेगी।

सोनी सब पर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे वागले की दुनिया - नई पीढ़ी नए किस्से देखने के लिए ट्यून इन करें।

जागरण फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी ने किया प्रेरणादायक सत्र; आगामी फिल्म डिस्पैच पर डाली रोशनी

मुंबई, 6 दिसम्बर (वेब वार्ता)। दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा करने वाला फिल्म महोत्सव, जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF), अपने 12वें संस्करण के साथ दिल्ली के प्रतिष्ठित सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भव्य तरीके से शुरू हुआ। अपनी टैगलाइन हर किसी के लिए अच्छी सिनेमा के साथ, JFF एक ऐसा मंच बन चुका है, जहां अनुभवी और उभरते हुए फिल्म निर्माता अपने काम को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फीचर फिल्मों, शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए प्रसिद्ध यह महोत्सव अब अंतरराष्ट्रीय फिल्म कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बन गया है।

इस सीज़न में, JFF ने अचीवर्स टॉक्स, कन्वर्सेशन सेशन्स और पैनल डिस्कशंस के माध्यम से कई मशहूर कलाकारों को प्रस्तुत किया, जो सिनेमा की दुनिया में बेहतरीन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन्हीं सत्रों में एक खास आकर्षण था, प्रख्यात अभिनेता मनोज बाजपेयी का अचीवर्स टॉक। इस सत्र में उन्होंने अपने अभिनय कौशल, भारतीय सिनेमा के बदलते परिदृश्य में अपनी यात्रा और अपनी आगामी फिल्म डिस्पैच पर चर्चा की। मनोज बाजपेयी, जो भारत के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं, मुख्यधारा और स्वतंत्र फिल्मों के बीच सहजता से स्थानांतरित होने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अपनी विचारोत्तेजक भूमिकाओं के लिए मशहूर बाजपेयी ने इस सत्र के दौरान कहानी कहने में गहराई और प्रामाणिकता की आवश्यकता पर जोर दिया। मनोज बाजपेयी ने कहा, सिनेमा समाज का आईना है, और छुश्च जैसे महोत्सव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अर्थपूर्ण कथाओं को सामने लाते हैं। यह धारणा गलत है कि व्यावसायिक दर्शक गहरी कहानियों से नहीं जुड़ेंगे। मैं फिल्म निर्माताओं को इस मिथक को तोड़ने और अधिक प्रामाणिक कथाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता हूं। उन्होंने आगे जोड़ा, आज की इंडस्ट्री में फॉर्मूलों-चाहे वह हास्य हो, एक्शन हो, या स्टार पावर-पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे कहानी का सार कमजोर हो गया है। बॉक्स ऑफिस सफलता के प्रति यह जुनून सिनेमा की आत्मा को प्रभावित कर रहा है। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वे फिल्मों की समीक्षा रचनात्मक रूप से करें, भले ही वे व्यावसायिक रूप से सफल हों, क्योंकि केवल विचारशील प्रतिक्रिया के माध्यम से ही हम इंडस्ट्री को और प्रभावशाली कहानियां पेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जागरण फिल्म फेस्टिवल के और भी रोमांचक अपडेट्स, एक्सक्लूसिव बिहाइंड-द-सीन मोमेंट्स, और विशेष घोषणाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ताजा खबरों के लिए हमें फॉलो करें!

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED
(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)

पंजीकृत कार्यालयः पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के टूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 साथ में पठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के टूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की हैः

(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;
(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और
(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली—मंडोला ट्रांसमिशन लाइन

2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैंः
(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपलिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)

3. **ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई**
क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट—किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट—किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट—किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट—किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट—किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट—किमी

4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आबंटित लागत शामिल है)ः रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरणः विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथिः 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथिः 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागतः रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरणः

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	टूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, लाभार्थी(यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेलः pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती हैं।।

स्थानः नोएडा
दिनांकः 07.12.2024

श्री अविनाश चंद्र धवन
मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.

जयपुर। शुक्रवार को हरमाड़ा/जोड़ला पावर हाउस में सहायक अभियंता सुधार सक्सम के द्वारा 8mva पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया जिससे आस पास के एरिया 14no बढ़ारणा,लोहमंडी,सीकर रोड के आस पास 40 कॉलोनी को विद्युत सप्लाई से राहत मिली। गर्मी के दिनों में लोड के कारण सप्लाई डिस्टर्ब रहती थी। इस काम के लिए अधिशासी अभियंता सीडी vii को बहुत बहुत धन्यवाद।

भाजपा नगर मंडल में बूथ अध्यक्षों और कार्यकारिणी का किया गठन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 6 दिसम्बर (का.सं.)। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत चौमूँ नगर मंडल प्रभारी रचना कँवर तथा सह प्रभारी दामोदर शर्मा के निर्देशन में चौमूँ नगर मंडल के अध्यक्ष गजानंद कुमावत ने बूथ संख्या 176 का अध्यक्ष संदीप कुमावत, 177 का संदीप भात्रा, 178 का रफीक नागोरी, 179 का राहुल शर्मा, 180 का जे पी जाट, 181 का राजेंद्र प्रजापत, 183 का बाबूलाल राई, 185 का पवन कुमावत, 186 का राजेंद्र कुलदीप, 189 का मदनलाल गोरा, 190 रतनलाल रेलावन, 192 जितेंद्र सैनी, 193 संदीप शर्मा, 194 नरेंद्र कुमावत, 195 गुलाबचंद लाम्बा, 196 सुरेंद्र कुमावत, 197 चेतन सैनी, 199 मोहन यादव, 200 राजकुमार गरेड, 201 सीताराम यादव, 205 बजरंग लाल कुमावत, 206 राजेश कुमावत, 207 मुकेश सैनी, 208 गुलाब भोमाका, 209 बनवारी लाल शर्मा, 210 विकास अग्रवाल, 212 राजेश चोपड़ा, 217 महेंद्र यादव को बूथ अध्यक्ष बनाकर उनकी कार्यकारिणी का गठन किया।

विशाल रक्तदान शिविर में 135 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकड़ी, 6 दिसम्बर (दीपांकुर चौहान)। केकड़ी भारत विकास परिषद् शाखा केकड़ी , एच डी एफ सी बैंक एवं युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन केकड़ी के अजमेरी गेट स्थित युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी प्रांगण में किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर में कुल 135 यूनिट रक्त का एकत्रित हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रतिनिधि के रूप में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी , वशिष्ठ अतिथि मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी के निदेशक डॉ अविनाश दुबे तथा श्री साई प्राइवेट आईं टी आईं, केकड़ी के डायरेक्टर अरुण कुमार सिंघल रहे मौजूद रहे । रक्तदान शिविर जहां कुल 135 यूनिट रक्तदान हुआ जिनमें 45 रक्तदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया तथा 10 दुर्लभ ब्लड ग्रुप के रक्तदाता थे, जिनको समय-आवश्यकता पर पंजीयत रखा गया। इसके अलावा कुल 35 रक्तदाओं को रक्तदान करने में अयोग्य होने कारण इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया । कार्यक्रम के सहयोगी एच डी एफ सी बैंक के ब्रांच ऑपरेशन हेड रवि जैन, ब्रांच मैनेजर सौरभ झंवर, ब्रांच मैनेजर विट्ठल छिपा, ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों , परिषद सदस्यों सहित परिषद की मातृशक्ति महिला मंडल ने अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया एवं होम्योपैथिक कॉलेज के समस्त स्टॉप ने रक्तदान शिविर सफल बनाने में भरपूर योगदान दिया ।रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

विश्व के प्रथम विश्व रत्न अंलकरण ने किया भुसावर की पावन धरा को नमन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

भुसावर, 6 दिसम्बर (नरेंद्र पांडे)। विश्व के प्रथम विश्व रत्न अंलकरण प्राप्त श्री महावीर प्रसाद टोरडी विशिष्ट सलाहकार महामहिम उप राष्ट्रपति नेपाल का अपने विश्व रत्न अंलकरण को लेकर कस्बा भुसावर की पावन धरा पर आगमन पर स्थानीय आदर्श विध्या मन्दिर रघुनाथ बाग विद्यापीठ रोड भुसावर में भव्य स्वागत किया गया श्री टोरडी का भुसावर पहूँचने पर भारतीय सांस्कृतिक परम्परा अनुसार ढोल नगाडों से वैदिक मंत्रोचार के साथ पं. महेश चंद्र नावरिया ने तिलक लगाकर पद प्रक्षालन कर स्वागत किया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री उदय भान सिंह डीन कृषि महाविद्यालय भुसावर रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रकाश चंद्र जाटव समाज सेवी ने की कार्यक्रम के संयोजक स्व. शिवदत्त पांडेय थानेदार मेमोरियल भुसावर के इंजी.नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि विश्व रत्न अंलकरण मिलने के उपरांत श्री महावीर प्रसाद टोरडी इस अंलकरण अभिनन्दन पत्र को भारत देश को समर्पित करने से पूर्व भारत की माटी तिलक कार्यक्रम के तहत कस्बा भुसावर की पावन धरा से तिलक लगाकर अंलकरण को भारत को समर्पित कार्यक्रम के अन्तर्गत पधारे हैं इस प्रकार पूरे भारत में भ्रमण कर देश की माटी से तिलक लगाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री टोरडी अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का संयोजन गत 44 वर्षों से अनवरत भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धान्त, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पॉवर के साथ स्थाई सदस्यता प्राप्त हो अयोध्या में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थापित हो ग्लोबल विल्लेज आदि सिद्धान्तों पर कार्य कर रहे हैं इनके इन सिद्धान्तो के समर्थन में 22 राष्ट्रों ने अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किये हैं तथा इस वर्ष इनकी कार्य शैली से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समर्थन में अपना ध्वज प्रदान किया है।

ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं के नाम

झुंझुनूं। चुड़ैला स्थित श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन के पुरुष व महिला टूर्नामेंट 2024-25 का खिताब श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी के नाम हुआ। श्रीमती उमा टीबड़ेवाला एवं चेयरपर्सन डॉ. विनोद टीबडेवाला के आतिथ्य में फाइनल मैच खेले गए। आयोजन सचिव डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं ने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई को 3-0 से हराया। इसी प्रकार महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा को 2-0 से हराया। दोनों ही वर्ग के फाइनल जितने वाली जेजेटी यूनिवर्सिटी राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। इससे पहले किसी भी वर्ग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोई भी यूनिवर्सिटी ये कारनामा नहीं किया। टूर्नामेंट में पुरुष टीम कोच हरेंद्र मलिक और महिला टीम कोच मीनू राणा टीम के साथ मौजूद रहे। प्रेसिडेंट डॉ. दवेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि टूर्नामेंट में 200 बैडमिंटन खिलाड़ीयों ने भाग लिया। विजेता टीमों को श्रीमती उमा टीबड़ेवाला ने ट्राफियां प्रदान की। जेजेटी के चेयरपर्सन डॉ. विनोद टिबड़ेवाला ने विजेता टीमों को 25-25 हजार रुपए नगद पुरस्कार सहित महिला एवं पुरुष टीम के कोच को नगद पुरस्कार की घोषणा की। टूर्नामेंट में टेक्निकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सूर्य कुमार यादव और डॉ. मंजू अरोड़ा की भूमिका सराहनीय रही। इस अवसर पर निदेशक संपदा इंजी बालकृष्ण टिबड़ेवाला, डॉ. मधु गुप्ता, डॉ. रामदर्शन फोगाट, डॉ. अंजू सिह, डॉ. अमन गुप्ता, डॉ. मनोज गोयल, पीआरओ डॉ. रामनिवास सोनी, डॉ. इकराम कुरैशी, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. नाजिया हुसैन, डॉ. सोनू सारण, डॉ. नीतू सिंह, डॉ. सुशीला दुबे, कपिल जानू, भानु पांड्या, तबरेज खान आदि मौजूद रहे।

कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर (**प्रभात अभिनन्दन न्यूज**)। शुक्रवार को **B** ,ब्लॉक, दक्षिणपुरी ,अम्बेडकर नगर विधानसभा, मैं बिजली बहन जी और अशोक गुप्ता बाबा जी के साथ कंबल वितरण करते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता दीपक तंवर वाल्मिकी जी।

बलाई विकास समिति ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस, समिति के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर नरेश को दी श्रृद्धांजलि

चौमूं, 6 दिसम्बर (का.सं.)। शहर के मोरीजा रोड़, बी-2, गुलाब विहार कॉलोनी में स्थित बलाई समाज सभा-भवन में शुक्रवार को बलाई विकास समिति जयपुर (मुख्यालय-चौमूं) के अध्यक्ष एडवोकेट बद्रीनारायण परिहार की अध्यक्षता में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी समाजबंधुओं ने श्रृद्धार्जंलि दी। इसके पश्चात समिति के प्रथम अध्यक्ष रहे मुरलीधर नरेश हरसोलिया के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रृद्धांजलि दी। समिति के कोषाध्यक्ष घनश्याम कान्देल ने डॉ. व्यक्त भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष परिहार ने बताया कि मुरलीधर नरेश हरसोलिया ने शिक्षा जगत में काफी योगदान दिया है। उन्होंने समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति हमेशा जागृत किया एवं समाज के प्रथम अध्यक्ष के रूप में समाज का नेतृत्व करके नई दिशा देने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र घसिया, पूर्व सरपंच राजेश वर्मा, एडवोकेट राधेश्याम बुनकर, सेवानिवृत बैक प्रबंधक छतरपाल बन्दुलिया, कालूराम सामरिया, हेमराज गोठवाल, राजेन्द्र प्रसाद काला, कैलाश लाखीवाल आदि मौजूद थे।

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस पर दीप प्रज्वलित करके बाबा साहेब को नमन किया

केकड़ी, 6 दिसम्बर (दीपांकुर चौहान)। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया डॉ भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भीम आर्मी केकडी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर को फूल माला चढ़ाकर और दिप प्रज्वलित करके बाबा साहेब को नमन किया और भीम आर्मी जिलाध्यक्ष देवराज बैरवा ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि बाबा साहेब ने हम सब को एक जुड़ रहने का संदेश दिया है और कहा है कि हम आदि से अंत तक भारतीय है इसी के साथ कार्यकर्ताओ ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाये इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवराज बैरवा रामसहाय बैरवा राजू बिलाड़ा सुरेश बिलिया शंकर बैरवा धनराज बैरवा जितेंद्र बोयत रामदयाल, धर्मराज, मुकेश, परमेश्वर वर्मा ,हनुमान उमेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

76 किलो डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार, सप्लायर नेमीचंद गुर्जर सलाखों के पीछे

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकड़ी, 6 दिसम्बर (दीपांकुर चौहान)। पुलिस थाना सराना ने अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना भिनाय की टीम ने नागोला-भिनाय रोड पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार आरजे 06-सीएफ-8269 को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर कार चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन जल्द ही निर्माणाधीन सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जांच करने पर कार से 76.300 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में वाहन चालक रामलाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, मादक पदार्थ का सप्लायर नेमीचंद गुर्जर को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी सहायता और सूचनाओं के आधार पर नेमीचंद को गणेशपुरा, जिला शाहपुरा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अभी गहन पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आरोपी का विवरण, नाम-नेमीचंद गुर्जर पिता का नाम-रामलाल गुर्जर, उम्र: 42 वर्ष, निवासी-गणेशपुरा, थाना फुलियांकला, जिला शाहपुरा पुलिस अधीक्षक केकड़ी के निर्देशानुसार जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह और वृताधिकारी हर्षित शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी विजय मीणा और उनकी टीम के सदस्यों शिवप्रकाश, सुनील कुमार, संजय और प्रदीप कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो 'नेट ज़ीरो एलायंस' में शामिल

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

मुंबई, 6 दिसम्बर (वेब वार्ता)। अक्षय ऊर्जा के वैश्विक बाजार का आकार 2022 में 700 अरब डॉलर था, जो 2035 तक बढ़कर 2,000 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। भारत की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी में 2030 तक जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। भारत में सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नॉन-फॉसिल फ्यूल वाले ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली का उत्पादन हो। एजीईएल भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो 'नेट ज़ीरो एलायंस' में शामिल हुई है। सीओपी-28 में स्थापित, यह एलायंस प्रमुख ग्लोबल यूटिलिटी और पावर कंपनियों को एकजुट करता है, जो एक स्थायी ऊर्जा भविष्य हासिल करने के लिए एक रणनीतिक नजरिया सुनिश्चित करता है। इस प्रोजेक्ट से भारत, सालाना 5 लाख 80 हजार टन कार्बन-डाइऑक्साइड एमिशन से बचने में सक्षम होगा। बड़े पैमाने पर विंड , सोलर, हाइब्रिड और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को वितरित करने की क्षमताओं के साथ अदाणी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर को उनकी उर्जा जरूरतों को पूरा करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कस्टमाइज्ड रिन्यूबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की अच्छी स्थिति में है। अदाणी ग्रीन का

रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 12 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर उत्पादन राजस्थान और गुजरात में होता है। इसके अलावा, खावड़ा एक हॉट-स्पॉट बन चुका है, जहां एक विशाल 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का निर्माण कर रहा है। यह 538 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पेरिस शहर से लगभग 5 गुना बड़ा है। ये प्रोजेक्ट अल्ट्रा-लार्ज-स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के विकास के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित करेगा। वित्तीय वर्ष 2024 में काम की शुरुआत के 12 महीनों के भीतर, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने 2 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को चालू कर दिया। पिछले 6 महीनों में 250 मेगावाट की विंड कैपेसिटी को चालू किया और मानसून के बावजूद जमीन पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत की 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराने की कोशिशों में विंड एनर्जी का अहम योगदान है। दिन में सोलर पावर और रात में विंड एनर्जी का उपयोग कर इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा विंड एनर्जी ग्रिड बैलेंसिंग में भी योगदान देती है। खावड़ा में लगी 5.2 मेगावॉट की विंड टर्बाइन बनाने में जर्मन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और यह अदाणी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड की मुंद्रा पोर्ट की फैक्टरी में बनाई गई है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑनशोर विंड टरबाइन में शुमार है। ये टरबाइन खावड़ा में उपलब्ध लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड की हाई विंड की स्पीड का पूरा उपयोग करते हैं और बिजली की लागत को कम करते हैं। खावड़ा में पूरी तरह से रोबोटिक सफाई तकनीक भी इस्तेमाल की गई है, जिससे मॉड्यूल की सफाई के लिए पानी का उपयोग लगभग ख़त्म हो जाता है।

सोनी सब के वागले की दुनिया में गुनगुन द्वारा यह दर्शाए जाने पर कि शेयर बाजार में कोई भी सफल हो सकता है, जिससे हर्षद को होता है नई चेतना का अनुभव

मुंबई, 6 दिसम्बर (वेब वार्ता)। सोनी सब के वागले की दुनिया - नई पीढ़ी नए किस्से में मध्यम वर्गीय वागले परिवार के रोज़मर्रा के संघर्ष और जीत को दिखाया जा रहा है। हाल के एपिसोड में हर्षद (अमित सोनी अपनी बेटी गुनगुन (नंदिनी मौर्य को शेयर बाज़ार में दिलचस्पी दिखाने पर उसे नकार देता है और उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए कहता है। इससे गुनगुन परेशान हो जाती है। वह भी ऐसे मौके पर जब हर्षद की शेयर टिप्स फेल हो जाती हैं, जबकि यामिनी (मानसी जोशी और डक्कू (दीपक पारीक एक रहस्यमय स्रोत द्वारा भेजी गई गुमनाम टिप्स का पालन करके मुनाफ़ा कमाते हैं।

आगामी एपिसोड में हर्षद निराश हो जाता है जब हर कोई उसकी सलाह के बजाय गुमनाम टिप्स का पालन करता है। अपने सुझावों पर भरोसा करते हुए वह घोषणा करता है कि अगर अज्ञात टिप्सटर सही साबित होता है, तो वह ज्योति की इच्छा के अनुसार काम करेगा। जब हर्षद को अपने निवेश पर नुकसान होता है और वह चुनौती हार जाता है, तो वह यह जानकर हैरान रह जाता है कि गुमनाम टिप्सटर कोई और नहीं बल्कि गुनगुन है। यह महसूस करते हुए कि उसे कम आंकना कितना गलत था, हर्षद उसकी प्रतिभा को स्वीकार करता है और अपनी कंपनी में उसकी इंटर्नशिप की घोषणा करता है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे महिलाएं रूढ़िवादिता को चुनौती दे रही हैं और अपरंपरागत क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि प्रतिभा और ज्ञान किसी की बपौती नहीं है!

राजेश वागले की भूमिका निभाने वाले सुमित राघवन ने कहा, गुनगुन की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि प्रतिभा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जिसमें लिंग भी शामिल है। हर्षद का यह अहसास कुछ ऐसा है जिससे कई माता-पिता और परिवार लाभान्वित हो सकते हैं - खासकर यह समझना कि कोई भी महिला या पुरुष किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि पारंपरिक रूप से अपरंपरागत माने जाने वाले क्षेत्र में भी। यह एक सशक्त और प्रगतिशील कहानी है जो मुझे आशा है कि कई लोगों को प्रेरित करेगी।

सोनी सब पर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे वागले की दुनिया - नई पीढ़ी नए किस्से देखने के लिए ट्यून इन करें।

जागरण फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी ने किया प्रेरणादायक सत्र; आगामी फिल्म डिस्पैच पर डाली रोशनी

मुंबई, 6 दिसम्बर (वेब वार्ता)। दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा करने वाला फिल्म महोत्सव, जागरण फिल्म फेस्टिवल **(JFF)**, अपने 12वें संस्करण के साथ दिल्ली के प्रतिष्ठित सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भव्य तरीके से शुरू हुआ। अपनी टैगलाइन हर किसी के लिए अच्छी सिनेमा के साथ, **JFF** एक ऐसा मंच बन चुका है, जहां अनुभवी और उभरते हुए फिल्म निर्माता अपने काम को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फीचर फिल्मों, शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए प्रसिद्ध यह महोत्सव अब अंतरराष्ट्रीय फिल्म कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बन गया है।

इस सीज़न में, **JFF** ने अचीवर्स टॉक्स, कन्वर्सेशन सेशन्स और पैनल डिस्कशंस के माध्यम से कई मशहूर कलाकारों को प्रस्तुत किया, जो सिनेमा की दुनिया में बेहतरीन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन्हीं सत्रों में एक खास आकर्षण था, प्रख्यात अभिनेता मनोज बाजपेयी का अचीवर्स टॉक। इस सत्र में उन्होंने अपने अभिनय कौशल, भारतीय सिनेमा के बदलते परिदृश्य में अपनी यात्रा और अपनी आगामी फिल्म डिस्पैच पर चर्चा की। मनोज बाजपेयी, जो भारत के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं, मुख्यधारा और स्वतंत्र फिल्मों के बीच सहजता से स्थानांतरित होने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अपनी विचारोत्तेजक भूमिकाओं के लिए मशहूर बाजपेयी ने इस सत्र के दौरान कहानी कहने में गहराई और प्रामाणिकता की आवश्यकता पर जोर दिया।

मनोज बाजपेयी ने कहा, सिनेमा समाज का आईना है, और छ्व्स्नस्न जैसे महोत्सव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अर्थपूर्ण कथाओं को सामने लाते हैं। यह धारणा गलत है कि व्यावसायिक दर्शक गहरी कहानियों से नहीं जुड़ेंगे। मैं फिल्म निर्माताओं को इस मिथक को तोड़ने और अधिक प्रामाणिक कथाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता हूं। उन्होंने आगे जोड़ा, आज की इंडस्ट्री में फॉर्मूलों-चाहे वह हास्य हो, एक्शन हो, या स्टार पावर-पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे कहानी का सार कमजोर हो गया है। बॉक्स ऑफिस सफलता के प्रति यह जुनून सिनेमा की आत्मा को प्रभावित कर रहा है। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वे फिल्मों की समीक्षा रचनात्मक रूप से करें, भले ही वे व्यावसायिक रूप से सफल हों, क्योंकि केवल विचारशील प्रतिक्रिया के माध्यम से ही हम इंडस्ट्री को और प्रभावशाली कहानियां पेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जागरण फिल्म फेस्टिवल के और भी रोमांचक अपडेट्स, एक्सक्लूसिव बिहाइंड-द-सीन मोमेंट्स, और विशेष घोषणाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ताजा खबरों के लिए हमें फॉलो करें!

POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED
(A Joint Venture of TATA Power & Powergrid)

पंजीकृत कार्यालय: पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वीं मंजिल, डीएलएफ टावर ए, जिला केन्द्र जसोला, नई दिल्ली-110025

सार्वजनिक सूचना

वित्त वर्ष 2024-29 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तावित वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन और वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के ट्रूइंग-अप के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 के खंड (7) के अनुपालन में, पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ("याचिकाकर्ता") की याचिका पर सुझाव/आपत्तियां आमंत्रण सूचना।

1. याचिकाकर्ता ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े, संयुक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें निम्न शामिल हैं, के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2024 के तहत वित्त वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों के अनुमोदन हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियमावली 2019 सपठित सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियमावली 2023 के विनियम 23 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के तहत वित्त वर्ष 2019-24 के लिए टैरिफ के ट्रूइंग-अप हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली (माननीय आयोग) के समक्ष एक याचिका दायर की है:
(i) पूर्वी क्षेत्र में, 400 केवी डबल सर्किट सिलीगुड़ी-पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डबल सर्किट पूर्णिया- मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन और 220 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) - मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन;
(ii) पूर्वी-उत्तरी अंतर-क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर-गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन; और
(iii) उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट गोरखपुर-लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन और 400 केवी डबल सर्किट बरेली-मंडोला ट्रांसमिशन लाइन
2. ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैं:
(ए) पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(बी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(सी) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(डी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(ई) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(एफ) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(जी) हरियाणा पावर परचेज सेंटर
(एच) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
(आई) पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (जम्मू और कश्मीर)
(जे) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड,
(के) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
(एल) चंडीगढ़ प्रशासन,
(एम) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(एन) उत्तरी मध्य रेलवे,
(ओ) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
(पी) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
(क्यू) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
(आर) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद,
(एस) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
(टी) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(यू) उड़ीसा ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(वी) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
(डब्ल्यू) दामोदर घाटी निगम
(एक्स) विद्युत विभाग (सिक्किम सरकार)
3. **ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई**
क. सिलीगुड़ी-पूर्णिया : 320 सर्किट-किमी
ख. पूर्णिया-मुजफ्फरपुर : 478 सर्किट-किमी
ग. मुजफ्फरपुर-मुजफ्फरपुर : 48 सर्किट-किमी
घ. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर : 520 सर्किट-किमी
ङ. गोरखपुर-लखनऊ : 492 सर्किट-किमी
च. बरेली-मंडोला : 472 सर्किट-किमी
4. परियोजना की अनुमोदित संयुक्त पूंजी लागत (इसमें विशेष उपकरण, स्थापना, आकस्मिकताएं और आईडीसी की आकस्मिक लागत शामिल है): रु. 161178 लाख
पूंजी लागत को मंजूरी देने वाला प्राधिकरण: विद्युत मंत्रालय
5. वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि: 01.07.2006
6. वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथि: 01.09.2006
7. वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर संयुक्त पूंजी लागत: रु. 140780 लाख
8. टैरिफ का विवरण:

ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम	ट्रूइंग-अप के लिए वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संयुक्त परिसंपत्ति	15289.55	15179.07	13887.70	13804.80	13758.95
	प्रस्तावित वर्ष-वार ट्रांसमिशन शुल्क (लाख रुपये में)				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	13652.38	14226.27	15383.48	16165.89	16333.38

9. टैरिफ के निर्धारण के लिए दायर याचिका की एक प्रति, याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर इस यूआरएल के साथ पोस्ट की गई है जैसे https://powerlinks.co.in/doc/Petition%20%20Tariff%20for%20FY%202024%20-%2029.pdf
10. याचिका में निहित टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, लाभार्थी (यों) सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ (ई-मेल: pankaj.prakash@tatapower.com) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती है।

स्थान: नोएडा
दिनांक: 07.12.2024
श्री अविनाश चंद्र यादव
मुख्य वित्त अधिकारी- पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.